6

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण
(वर्ष 2015 के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2020-2021)

छठा प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

छठा प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (वर्ष 2015 के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

[''भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (वर्ष 2015 के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित)'' विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

29.01.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
29.01.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जनवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2020-21) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय एक	प्रतिवेदन	1-18
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	19-46
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	47
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है	48-51
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं ।	52

अनुलग्नक

अनुबंध-I	ऋण समझौता	53-54
अनुबंध-II	ऑडिट के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति	55
अनुबंध-III	2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची	56
अनुबंध-IV	एमआईएस एचसीएल एग्रो का पत्र सीमित	57-58
अनुबंध-V	5MV सेक्टर व वर्षवार तक की छोटी परियोजनाओं का विवरण	59-60
अनुबंध-VI	पिछले 4 वर्षों के लिए 10 एमवी क्षेत्रवार और वर्षवार तक की परियोजनाओं की सूची	61-62
अनुबंध-VII	आरटीएस क्षमता (MW) की स्थिति स्वीकृत और उपलब्धियाँ	63-65

परिशिष्ट

एक. 7.1.2021 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश 66-68

दो. 'भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (वर्ष 2015 के कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित)' विषय संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण। 69

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्रीमती कनिमोझी
5. श्री रघुराम कृष्णराजू
6. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन किंजरापु
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
18. श्री अनिल देसाई
19. श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार
20. श्री ओम प्रकाश माथुर
21. श्री सुरेद्र सिंह नागर
22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

श्री आर.सी.तिवारी	-	संयुक्त सचिव
श्री श्रीनिवासुल् गुंडा	-	निदेशक
श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ''भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (वर्ष 2015 के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित)'' विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2018-19) का 22वां प्रतिवेदन 08 फरवरी, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया । प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 16 सिफारिशों के की-गई-कार्रवाई उत्तर 29 नवम्बर, 2018 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त हो गए थे

3. समिति (2020-21) ने 07 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति की बाईसवी रिपोर्ट (16 वी लोक सभा) पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यवाई के विश्लेषण के आधार पर समिति की टिप्णियो /सिफारिशों को इस रिपोर्ट के अध्याय-१ में दिया गया है।

5. समिति (2020-21) के बाईसवी रिपोर्ट (16 वी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

नई दिल्ली;
07 जनवरी, 2021
17 पौष, 1942 (शक)

मीनाक्षी लेखी
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

समिति का यह प्रतिवेदन "भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (वर्ष 2015 के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित)'' विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन में जिसे 08 दिसम्बर, 2018 को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है ।

2 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 16 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं । इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो)

क्रम सं0 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15 और 16 (कुल 14)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती। (अध्याय तीन)

शून्य (कुल 00)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है

(अध्याय-चार)

क्रम सं. 8 और 14 (कुल 02)

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं और अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं । (अध्याय पांच)

शून्य (कुल 00)

3. समिति चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों के उत्तर उन्हें शीघ्र भेजे जाएं । समिति यह भी चाहती है कि उन टिप्पणियों/सिफारिशों, जिनके अंतरिम उत्तर दिए गए है, के संबंध में अंतिम उत्तर समिति को सारगर्भित रूप से और तय समयसीमा के अंदर भेजे जाएं ।

4. अनुवर्ती पैराओं में, समिति कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी ।

<u>नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के विकास में इरेडा का योगदान</u>

सिफारिश (मूल प्रतिवेदन में क्रम सं. 1)

5. समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के विकास में इरेडा के योगदान के संबंध में निम्नवत् टिप्पणी व सिफारिश की थी:-

"इरेडा, भारत सरकार का एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, जिसे अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1987 में स्थापित किया गया, जिसने अब तक 7525 मेगावाट से अधिक 'हरित क्षमता निर्माण' का समर्थन करने वाली 2382 स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें रु. 48,832 करोड़ की ऋण प्रतिबद्धता के साथ ही रू. 27,790 करोड़ का संवितरण भी किया गया है, जिसने भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान की है। समिति ने चिन्हित किया कि एमएनआरई की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा

परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने में हरित ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के स्तर पर, 15.2.2015 से लेकर 30.9.2016 तक की अवधि में कुल स्वीकृत राशि और कुल संवितरित राशि के मामले में देश के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बाद इरेडा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा अग्रणी एनबीएफसी संस्थान है।

समिति ने चिन्हित किया कि 31 दिसंबर, 2016 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 50,068 मेगावाट थी और 2022 तक यह 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ओर लक्षित है। इस संदर्भ में, सरकारी पुनर्वित संस्थान के रूप में इरेडा को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इरेडा द्वारा निभाई गई भूमिका और योगदान को ध्यान में रखते हुए, समिति को लगता है कि अभी भी 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हुए, आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा के इस युग में, इरेडा को एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में तथा इस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख निजी संस्थानों के साथ, बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्थायी प्रयासों की आवश्यकता है। समिति आशा करती है और विश्वास रखती है कि इरेडा सभी वांछित पहलों को पूरा करेगा और अक्षय ऊर्जा पुनर्वित क्षेत्र के एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरेगा, जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा जो देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता होगी।"

6. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई सारांश में निम्नवत बताया है:

"समिति के सुझावों को मार्गदर्शन हेतु चिन्हित किया गया है। इरेडा यह सुनिश्चित करने के लिए वे सभी प्रयास करेगा जिससे देश में अक्षय ऊर्जा की गति वित्त के अभाव के कारण धीमी न हो। इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि 31.08.2019 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 71.85 गीगावाट तक बढ़ाया जा चुका है और इरेडा 31.08.2018 तक क्रमश: रु. 62,077.87 करोड़ और रु. 98297.63 करोड़ की राशि के संचयी ऋणों को स्वीकृत और संवितरित कर चुका है।"

7. समिति इस बात की प्रशंसा करती है कि इरेडा ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के संदर्भ में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने के संबंध में समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों को न केवल सही परिप्रेक्ष्य में लिया है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है कि वित्त पोषण के अभाव में देश में अक्षय ऊर्जा की गति धीमी न पड़ने पाए। हालांकि समिति ने नोट किया है कि 31 दिसंबर 2016 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 50.068 मेगावाट थी जो 31 अगस्त, 2029 तक बढ़कर 71.85 गीगावाट हो गई है। इसका अभिप्राय है कि 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2016 से 2019 तक मात्र 21.782 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा को जोड़ा जा सका और इस प्रकार वर्ष 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 2019 के पश्चात अगले 3 वर्षों में करीब 103.15 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का कार्य शेष रह गया। अगस्त, 2019 तक क्षमता संवर्धन की धीमी गति को देखते हुए समिति अपनी आशंका व्यक्त करती है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शायद ही पूरा हो पाए । इसलिए समिति चाहती है कि सभी संबंधितों द्वारा इस संबंध में और अधिक संगठित प्रयास जोर शोर से किया जाए और इस संदर्भ में एक बड़ी संस्था होने के नाते इरेडा वर्ष 2022 तक 175 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में सरकार की सहायता करने और उसे सुदृढ़ बनाने हेतु सभी आवश्यक पहल करें ।

<u>ऋण की वसूली</u>

सिफारिश (मूल प्रतिवदन में क्रम सं. 5)

8. समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में ऋणों की वसूली के संबंध में निमन्वत टिप्पणी एवं सिफ़ारिश की थी :

"वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान, सीएजी रिपोर्ट के पैरा संख्या 4.9 और 4.10 के अनुसार, इरेडा ने वनटाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के तहत 29 मामलों का निपटारा किया। जहां तक इन 29 ओटीएस मामलों की क्षेत्रवार संख्या का संबंध है, 10 वायु से संबंधित है, सौर और ब्रिकेटन में प्रत्येक 4, अपशिष्ट से ऊर्जा, सह-उत्पादन और बायोमास में प्रत्येक 3 तथा 2 लघु-पनबिजली से संबंधित हैं। इन 29 मामलों में, ब्याज आदि सहित मूलधन पर वसूली के लिए देय राशि 446.70 करोड़ रुपए थी जिसमें से 208.85 करोड़ रुपए की वसूली ओटीएस के माध्यम से की गई थी। इसलिए, इरेडा ने ओटीएस के कारण 237.85 करोड़ रुपए छोड़ दिए जो कि उसकी बकाया देय राशि का आधे से ज्यादा है अर्थात् मूलधन के संदर्भ में 8 करोड़ रुपए, ब्याज के संदर्भ में 187.06 करोड़ रुपए और अन्य बकाया राशि जैसे कि तरलीकृत हर्जाना, आकस्मिक शुल्क इत्यादि के संदर्भ में 42.79 करोड़ रुपए हैं।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुसार, तब तक संवीक्षा के लिए चुने गए 17 ओटीएस मामलों में से, 14 मामलों में इरेडा ने ओटीएस/वित्तपोषण दिशानिर्देशों का विचलन किया। इस तरह के विचलन में अंतरिम ऋण जारी करने से पहले भौतिक निरीक्षण का आयोजन नहीं करना, जानबूझकर चूककर्ताओं आदि के लिए भी ओटीएस सुविधा देना, शामिल है। समिति की जांच से पता चलता है कि कई मामलों में, रेहन सृजन के बिना ही पक्षों को कई बार अंतरिम संवितरण किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि अंतरिम संवितरण चरण पर परियोजनाओं की पुनःव्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी। कुछ उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए अर्थात् मैसर्स श्रीसूर्योचंद्र सिनर्जेटिक प्रा. लिमिटेड के मामले में चार अंतरिम संवितरण किए गए और तीसरे अंतरिम संवितरण के बाद, परियोजना की पुनःव्यवस्था को स्वीकृति दी गई। मैसर्स पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड के मामले में, दो अंतरिम संवितरण किए गए थे; मैसर्स जैन फार्म्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड परियोजना के मामले में निरीक्षण के बिना संवितरण किया गया था। कुछ मामलों में, ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट नहीं बनाया गया था और उधारकर्ताओं द्वारा बार-बार चूक करने की स्थिति में भी अतिरिक्त प्रतिभूति नहीं ली गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा जैसा बताया गया है उसके अतिरिक्त, गारंटीकर्ता की संपत्ति का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए भी कोई पर्याप्त तंत्र नहीं था।

उपरोक्त के अलावा, समिति ने मंत्रालय/इरेडा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता लगाया है कि ऋण स्वीकृत होने के बाद, कई परियोजनाएं त्याग दी जा रही हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, इरेडा द्वारा स्वीकृत 61 परियोजनाओं में से केवल 20 परियोजनाओं को चालू किया जा सका और 18 परियोजनाओं को छोड़ दिया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान परित्यक्त परियोजनाओं के संबंध में कुछ सुधार हुआ जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि केवल 7 परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था। चालू होने वाली परियोजनाओं के संबंध में, 108 स्वीकृत परियोजनाओं के मुकाबले स्थिति खराब हो गई और केवल 34 चालू हुई थीं। समिति ने पूर्वकथित परिदृश्य से यह निष्कर्ष निकाला है कि ऋण स्वीकृत करने में इरेडा का संपूर्ण दृष्टिकोण कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण है।

स्थिति को सुधारने के लिए, इरेडा ने कहा है कि उसने कुछ उपाय किए गए हैं अर्थात् क्रियान्वन के तहत परियोजनाओं के लिए अगले संवितरण से लंबित बकाए का समायोजन और व्यक्तिगत गारंटी की मांग जिसके लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। समिति का मानना है कि असफल परियोजना हेतु ऋण की वसूली करने के लिए ये कदम अंतिम उपाय हैं। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उनकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना है, इरेडा की तरफ से यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मानदंडों में छूट की प्रणाली के अलावा, समीक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए, समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि ओटीएस जैसे उपायों का उपयोग संयम से किया जाना जरुरी है और जानबूझकर चूक करने वालों के लिए यह उपाय बिल्कुल उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इरेडा को, एक वित्तीय संस्थान होने के नाते, वित्तीय विवेक के मानदंड का अनुपालन करना चाहिए और पुनर्भुगतान के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए ताकि इससे पहले कि ऋण एनपीए में जाए उसकी वसूली की जा सके।

9. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"अनुमोदित ओटीएस नीति के अनुसार लेखापरीक्षा के अवलोकन के तहत अवधि के दौरान, 29 मामलों में ओटीएस के माध्यम से वसूली को प्रभावित किया गया था। निपटान देय राशि पर पहुंचने के दौरान परियोजना की स्थिति, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर विचार किया गया है अर्थात् सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त परियोजना परिसंपत्तियां/जमानत प्रतिभूतियों और ऋण के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से विधिवत रूप से प्रमाणित व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटीकर्ताओं की निवल संपत्ति पर विचार किया गया। ओटीएस कू स्वीकृति वाले मामलों में देय राशि, ओटीएस के माध्यम से वसूली राशि, इन 29 मामलों के लिए छोड़ दी गई राशि की सारांश स्थिति निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**कुल देयराशि**	**वसूली राशि**	**छोड़ दी गई राशि**
मूलधन	18,117.22	17,316.64	800.58
देय ब्याज	22,239.55	3,533.57	18,705.98
तरलीकृत हरजाने एवं आकस्मिक शुल्क	4,313.60	34.66	4,278.94
कुल	44,670.37	20,884.87	23,785.5

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि इरेडा ने बकाया मूलधन का अधिकांश भाग वसूल कर लिया है और मूलधन पर केवल 800.58 करोड़ रुपए छोड़ दिए हैं, जो केवल 4.41% है। मूलधन को छोड़ना, मुख्य रूप से ब्रिकेटन सेक्टर और अपशिष्ट से ऊर्जा सेक्टर के मामले में था, जहां तकनीकी मुद्दों के कारण परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

भौतिक निरीक्षण आयोजित करने, अंतरिम ऋण जारी करने के अवलोकन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि प्रणाली और प्रक्रिया को मजबूत किया गया है और वित्त पोषण के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना के लिए ऋण की पूर्व और पश्च स्वीकृति पर और परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भी भौतिक निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं। आम तौर पर ऋणदाता के इंजीनियर, साइट पर भौतिक प्रगति की निगरानी करने में कार्यरत रहते हैं और केवल उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही परियोजना स्वीकृति में संवितरण किया जाता है। अंतरिम संवितरण की नीति में संशोधन किया गया है और जब तक बैंक गारंटी प्राप्त नहीं होती है तब तक रेहन सृजन से पहले, कोई अंतरिम संवितरण नहीं किया जाता है। ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की निगरानी के संबंध में, रिकवरी टीम को मजबूत किया गया है और वह अब बारीकी से टीआरए खातों की निगरानी कर रही है।

छोड़ी गई परियोजनाएं दर्शाती हैं कि परियोजनाओं को या तो इरेडा द्वारा वित्तपोषित नहीं किया गया था या विकासकर्ता द्वारा उनको छोड़ दिया गया था। इसके कई कारण जो नीति, विनियमन, भूमि अधिग्रहण, निकासी आदि से संबंधित हो सकते हैं। जब परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है, तो पूर्व-निष्पादन, पूर्व संवितरण और प्रतिभूति के अनुपालन के लिए शर्तें लगाई जाती हैं। यदि परियोजना इन शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है तो परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी। ऋणदाता के रूप में, यदि इनमें से कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो संवितरण लेने के लिए किसी विकासकर्ता पर दबाव डालना या परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु जोर देना, हमारी ओर से यह विवेकपूर्ण नहीं है।

मूल्यांकन प्रक्रिया को ऋण की स्वीकृति के लिए मजबूत किया गया है। परियोजना ऋण आवेदन की सम्यक तत्परता का निष्पादन सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, सीएआरई, इंडिया रेटिंग और ब्रिकवर्क जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रमोटर/गारंटर की सीआईबीआईएल स्थिति, परियोजना की बाहरी रेटिंग की समीक्षा करके किया जाता है। आंतरिक क्रेडिट रेटिंग भी निष्पादित की जाती है। परियोजना की रेटिंग के आकलन के आधार पर, ब्याज दर और प्रतिभूति मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिया जाता है। वित्तपोषण दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, यह निर्णय लिया गया है कि लघु पनबिजली और सह-उत्पादन क्षेत्र के लिए, जो प्रकृति में अधिक जोखिम भरे माने जाते हैं, परियोजना लागत का 50% से अधिक का वित्तपोषण ना करें। जैवभार क्षेत्र को 5 से अधिक वर्षों के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया जा रहा है क्योंकि जैवभार क्षेत्र में परियोजनाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। समिति की अनुशंसा जोकि ओटीएस का संयम से उपयोग किया जाना जरूरी है, के संबंध में है, उसको मार्गदर्शन के लिए चिन्हित किया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि इसका उपयोग संयम से ही किया जाएगा। इरेडा, गैर-प्रदर्शनकारी परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एनसीएलटी से संपर्क करेगा/डीआरटी के समक्ष फाइल रिकवरी कार्यवाही/एसएआरएफ़ईएएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

10. समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर से नोट करती है कि इरेडा ने 29 वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) मामलों में कुल 23785.5 करोड़ रूपये छोड़ दिये जो कि 44,670.37 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि का करीब 53.25% है। जैसा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उत्तर में बताया गया है 4.41% छोड़ी गई धनराशि केवल बकाया मूलधन की राशि के मामले में है। दूसरी ओर, इस तथ्य को देखते हुए कि 22,239.55 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि में से 18,705.98 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए जो कि 84.11% है,ब्याज बकाया के मद में छोड़ी गई धनराशि काफी बड़ी है और आश्चर्यजनक रूप से इरेडा ने 'तरलीकृत हरजाने और आकस्मिक शुल्क की लगभग पूरी धनराशि छोड़ दी है क्योंकि इस मद में 4,313.60 करोड़ रुपये की कुल बकाया धनराशि में से उन्होंने 4278.94 करोड़ रुपये छोड़ दिए हैं जो कि 99.20% है। समिति इरेडा द्वारा छोड़ी गई इतनी बड़ी धनराशि को नोट करके निराश है और दृढ़ता से यह महसूस करती है कि जिस प्रणालीगत त्रुटि की वजह से यह परिदृश्य सामने आया उसे तत्काल सही किया जाना चाहिए तथा वित्तीय मानदंडों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि इरेडा को, एक वित्तीय संस्थान होने के नाते वित्तीय विवेक के मानदंड का पालन करना चाहिए और पुनर्भुगतान के प्रदर्शन की सतत निगरानी करनी चाहिए ताकि इससे पहले कि ऋण एनपीए में जाए उसकी वसूली की जा सके।

<u>इरेडा की स्थिति - आरबीआई मानदंडो की अनुप्रयोज्यता</u>

सिफारिश (मूल प्रतिवेदन में क्रम सं॰ 8)

11. समिति ने 'अक्षय ऊर्जा के विकास में इरेडा का योगदान' विषय के संबंध में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी: -

"लेखापरीक्षा के अनुच्छेद में कहा गया है कि इरेडा द्वारा इसे बुनियादी ढाँचे की वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत करने के आवेदन की जांच करते समय, आरबीआई ने देखा कि यह अनुमेय जोखिम सीमाओं से अधिक था। इसलिए, आरबीआई ने (सितंबर 2010) को इरेडा को समयावधि प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जिसके अंतर्गत इरेडा दिसंबर 2006 के आरबीआई मानदंडों का पालन करेगी। मंत्रालय/इरेडा ने कहा है कि इरेडा ने बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी की स्थिति के लिए आरबीआई से आवेदन नहीं किया है। एक विशिष्ट प्रश्न पर कि क्या इरेडा ने कभी बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में नामित होने के लिए आवेदन किया था, आरबीआई ने लिखित उत्तर में कहा है कि इरेडा ने अपने पत्र सं. एसीसीटीएस/26/एनबीएफसी/96-97/ इरेडा / VI दिनांक 12 मार्च, 2010 के माध्यम से स्वयं को वर्गीकृत करने के लिए आवेदन किया था। समिति यह समझने में असमर्थ है कि मंत्रालय/इरेडा ने सीधे तौर पर आरबीआई को बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में आवेदन करने से कैसे इंकार कर दिया जबकि उत्तर में लेखापरीक्षा ने इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और आरबीआई ने विशेष रूप से प्रासंगिक पत्र संख्या और तारीख उद्धृत की है। समिति इस संबंध में स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताती है। वह चाहती है कि मंत्रालय/इरेडा स्थिति स्पष्ट करें।

जैसाकि आरबीआई ने कहा है, इरेडा को वर्तमान में एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग-सिस्टमेटिकली महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समिति को अवगत कराया गया है कि एकल उधारकर्ताओं/उधारकर्ताओं के समूह के संबंध में आरबीआई के जोखिम मानदंड इरेडा पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सरकारी एनबीएफसी होने के कारण यह आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करती/रखती है। जैसाकि मंत्रालय/इरेडा ने कहा है, इरेडा के निदेशकमंडल ने एनबीएफसी के लिए जोखिम मानदंड अर्थात एकल ऋण लेने वाले के लिए 15% +

5% निवल मूल्य और समूह उधारकर्ताओं के लिए निवल मूल्य का 25% + 10% स्वीकृत किया है। समिति आगे बताती है कि आरबीआई द्वारा इंगित की गई स्थिति के अनुसार, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सरकारी कंपनियों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को देखते हुए, उनके संबंधित पर्यवेक्षी विभागों/मंत्रालयों द्वारा निर्धारित मानदंड और उन पर दोहरे नियंत्रण और विनियमन से बचने के लिए, उन्हें बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से 13 जनवरी, 2000 और 1 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचनाओं के प्रमुख नियामक प्रावधानों से छूट देने का निर्णय लिया गया था। आरबीआई द्वारा एनबीएफसी को दी गई छूट की भावना की सराहना करते हुए, समिति को लगता है कि इन छूटों का उचित परिश्रम के बाद और उचित औचित्य के साथ संयमपूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। इरेडा के मामले में, लेखापरीक्षा ने बताया है कि चयनित मामलों में निर्धारित क्रेडिट जोखिम सीमा से 29% अधिक था। इतना ही नहीं, इरेडा अपने स्वयं के छूट मानदंडों को पार कर गई है, उदाहरण के लिए, इरेडा ने मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (परियोजना संख्या 1838) के मामले में जोखिम सीमा को 56 प्रतिशत से अधिक कर दिया, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विचलन भी हैं जो चयनित मामलों में 40 प्रतिशत तक हैं। इतना ही नहीं, इरेडा एक निश्चित समय सीमा के बिना लगातार ओटीएस योजना का संचालन कर रही थी, जो भुगतान न करने की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा अपनी रिपोर्ट में सही ढंग से विचार किया गया है। जैसा कि रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में देखा गया था, अंतरिम संवितरण के बाद की कई परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था, 2015-16 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं का प्रतिशत केवल 31 प्रतिशत था, इस प्रकार सामाजिक दायित्वों को कम पूरा किया गया।

समिति ने पाया है कि आरबीआई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के बड़ी बैलेंस शीट और अपने अंतर्संबंध के आधार पर किए जा सकने वाले उच्च प्रणालीगत जोखिम को ध्यान में रखकर और व्यापक वित्तीय प्रणाली के अलावा उनके प्राप्तकर्ता के रूप में वित्तीय बाजारों को बजट से प्रभावित करने की उनकी क्षमता को देखते हुए जमा राशि लेने वाली सभी महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को व्यवस्थित रूप से आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रावधान के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया कर रही है। इरेडा को दी गई छूट के बड़े पैमाने को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में ऊपर विस्तृत रूप से बताया गया है, समिति सरकार, एनबीएफसी और संबंधित मंत्रालय से इस पर विचार-विमर्श के बाद, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जमा स्वीकार न करने वाली-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों को भी इसके अंतर्गत लाने पर विचार करना चाहेगी।"

12. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"इरेडा की अवसंरचना स्थिति के लिए आरबीआई को आवेदन नहीं करने के संबंध में गलत जानकारी देने के बारे में मंत्रालय और इरेडा गंभीर खेद व्यक्त करते हैं। तथ्य यह है कि हालाँकि, इरेडा ने एक बार इरेडा को अवसंरचना वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण के लिए आरबीआई को संदर्भित किया था, लेकिन इरेडा द्वारा आरबीआई की समय सीमा की आवश्यकता के कारण, जिसके अनुसार इरेडा को आरबीआई के दिसंबर 2006 के मानदंडों का अनुपालन करना था, इरेडा द्वारा इसपर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इरेडा बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/45 दिनांक 09.11.2017 (पृष्ठ संख्या 31 पैरा 22 (1) देखें) में निहित प्रकटन मानदंडों के अनुरूप किस प्रकार प्रकटन मानदंडों को मंजूरी दी है।

तालिका: इरेडा के प्रकटन मानदंड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मानदंड

विवरण	एकल ऋणी	समूह ऋणी
एनबीएफसी के लिए प्रकटन मानदंड	15%	25%
अवसंरचना परियोजनाओं को एनबीएफसी वित्तपोषण के लिए प्रकटन मानदंड (इरेडा द्वारा अंगीकृत)	20% (15%+ 5%)	35% (25% + 10%)
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी के लिए प्रकटन मानदंड	25% (15% + 10%)	40% (25% + 15%)

इरेडा केवल आरई परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है, जो अवसंरचना परियोजनाओं की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, इरेडा बोर्ड ने एकल ऋण लेने वाले के लिए निवल के 20% तक और उधारकर्ताओं के एकल समूह के लिए 35% तक के जोखिम को मंजूरी दी है, जिसे तालिका की दूसरी पंक्ति में संकेतित किया गया है। यदि इरेडा को आरबीआई द्वारा बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया होता, तो इरेडा के जोखिम के नियम क्रमशः ऋण लेने वाले व्यक्ति और ऋण लेने वाले के समूह (तालिका की पंक्ति 3) के लिए 25% और 40% हो सकते थे। आरबीआई परिपत्र का प्रासंगिक निष्कर्ष अनुलग्नक-V में संलग्न है।

यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली सभी सरकारी एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 13.01.2000 को प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखकर इरेडा द्वारा उपरोक्त मानदंडों का पालन किया जा रहा है। आरबीआई के 31 मई, 2018 के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, आरबीआई द्वारा इन छूटों को वापस ले लिया गया है और अब विशिष्ट क्षेत्र की कंपनियों के क्रेडिट जोखिम से संबंधित मानदंडों को छोड़कर, जिसके लिए आरबीआई को अनुरोध भेजना होगा, इरेडा जैसी सभी सरकारी एनबीएफसी को एनबीएफसी के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना पड़ता है। तदनुसार, 20 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी 307वीं बैठक में इरेडा के बोर्ड ने मंजूरी दी है कि 01.06.2018 के बाद से इरेडा को आरबीआई द्वारा परिपत्र 31.05.2018 में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। ऋण जोखिम छूट के संदर्भ में आरबीआई को एमएनआरई के माध्यम से पत्र संख्या 340-12 / 4/2018-इरेडा दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 में एक विशिष्ट प्रस्ताव भेजा गया है।"

13. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में पाया कि लेखापरीक्षा में इस तथ्य की ओर इंगित किया गया था कि इरेडा को एक अवसंरचना वित्तीय कपनी के रूप में वर्गीकरण के लिए इसके आवेदन की जांच करते समय आरबीआई ने पाया था कि इरेडा अनुमत्य एक्सपोजर सीमाओं को पार कर रही है । हालांकि विषय की जांच के दौरान, मंत्रालय/इरेडा ने बताया था कि इरेडा ने अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिए जाने हेतु आरबीआई के पास आवेदन नहीं किया है । आश्चर्यजनक यह है कि पूछे जाने पर आरबीआई ने लिखित उत्तर में बताया था कि इरेडा ने अपने पत्र सं. लेखा/26/एनबीएफसी/96-97/इरेडा/VI, दिनांक 12 मार्च, 2010 के माध्यम से अपने को आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया था । समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में, जिस प्रकार से मंत्रालय/इरेडा ने इस मुद्दे पर समिति को गलत जानकारी दी थी उस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उनसे इस सबंध में स्पष्टीकरण मांगा था । समिति पाती है कि की-गई-कार्रवाई उत्तर में मंत्रालय और इरेडा ने अपनी गलती स्वीकार की है और इस गलत जानकारी को देने के लिए कि इरेडा ने आईएफसी का दर्जा दिए जाने के लिए आरबीआई के पास आवेदन नहीं किया था, उन्होंने

खेद व्यक्त किया है । समिति मंत्रालय / इरेडा के उत्तर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनके उत्तर में यह बिलकुल नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों में समिति को गलत जानकारी दी गई । इसके अलावा, उत्तर से यह साफ है कि मंत्रालय/इरेडा द्वारा स्पष्ट रूप से कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है जिससे कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने पाए । इसलिए समिति जिस प्रकार से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इरेडा द्वारा इस सम्माननीय संसदीय समिति को गलत जानकारी दी गई थी उसे गंभीरता से लेती है और अपनी गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करती है । साथ ही समिति मंत्रालय / इरेडा को सावधान करती है कि वे संसदीय समितियों को जानकारी देते समय अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरते ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसदीय समितियों के समक्ष दी जाने वाली जानकारी सही और प्रामाणिक हो तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि से पूर्णतया बचा जा सके । समिति आगे चाहती है कि उसे एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी सौंपी जाए जिसमें यह बताया जाए कि किन परिस्थितियों में, समिति को जानकारी देने में ऐसी त्रुटि हुई । समिति इस बात की भी पुरजोर सिफारिश करती है कि इस त्रुटि हेतु संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाए जिनकी वजह से इस मामले में समिति को गलत जानकारी दी गई तथा वह यह भी चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु इस संबंध में किए गए उपायों / जारी किए गए दिशानिर्देशों से उसे अवगत कराया जाए ।

<u>अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और निष्पादन</u>

सिफारिश (मूल प्रतिवेदन में क्रम सं. 13)

14. समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में 'अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और निष्पादन' विषय के संबंध में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी: -

"समिति यह जानकर निराश है कि देश आरई क्षेत्र में आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है क्योंकि स्वदेशी तकनीक बहुत आगे नहीं बढ़ी है। साक्ष्यों के दौरान, मंत्रालय/इरेडा प्रतिनिधियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि 85 प्रतिशत सौर पैनल अभी भी चीन से आयात किए जा रहे हैं क्योंकि वे सस्ते और तकनीकी रूप से उन्नत हैं।

जहाँ तक एमएनआरई द्वारा आरई सेक्टर में अब तक अनुसंधान और विकास में किए गए प्रयासों का संबंध है, समिति का मानना है कि अनुसंधान और विकास और विभिन्न आर एंड डी/ शैक्षणिक संस्थानों/उद्योग के क्षेत्र में हाइड्रोजन और ईंधन सेल द्वारा सौर तापीय, एसपीवी, बायोगैस, पवन, जैव ईंधन; और 12 वीं योजना अवधि के दौरान एमएनआरई संस्थानों, अर्थात्, एनआईएसई और एनआईडब्ल्यूई के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के समर्थन के रूप में 584 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, एमएनआरई में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा के लिए तीन समर्पित संस्थान हैं, जो अनुसंधान निष्पादन, मानकीकरण और परीक्षण केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें छोटे हाइड्रो पावर के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए आईआईटी रुड़की में वैकल्पिक हाइड्रो ऊर्जा केंद्र भी शामिल है।

समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि मंत्रालय ने 24 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता प्रदान करके सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार, ऊष्मायन और उद्यमिता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने का भी समर्थन किया है। सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद ने इस अनुदान के माध्यम से सतत ऊर्जा के लिए भारतीय कोष बनाया है ताकि उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने और समर्थन देने के साथ-साथ नवीन विचारों की शुरुआत की जा सके।

समिति का दृढ़ विश्वास है कि देश में, आरई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता है, जिसके लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे आईआईटी जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों के

माध्यम से आरई क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए, समिति का विचार है कि इरेडा/मंत्रालय को मिशन मोड में काम करना चाहिए ताकि विशेष रूप से आरई सेक्टर में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया जा सके और छोटी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाए ताकि तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के अलावा आरई सेक्टर में विभिन्न नीतिगत निर्णयों के माध्यम से स्वदेशी उत्पाद उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। सुझाव के अनुसार ठोस पहल की जा सकती है और समिति को इसके अनुसार अवगत कराया जाए।"

15. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) प्रौद्योगिकी विकास और निष्पादन के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों आदि के माध्यम से सौर, पवन, बायोगैस, हाइड्रोजन, ईंधन कोशिकाओं, भूतापीय, आदि के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास का समर्थन करता रहा है, जो व्यावसायीकरण के लिए अग्रणी है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान, विकास और निष्पादन (आरडी एंड डी) के लिए एक व्यापक नीति और दिशानिर्देश लागू हैं। बारहवीं योजना अवधि में, विभिन्न अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों को 523.43 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लघु हाइड्रो, हाइड्रोजन और ईंधन कोशिकाओं के क्षेत्र में कुल 112 आर एंड डी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। एमएनआरई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी परियोजनाओं पर 307.66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सितंबर, 2017 में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा आरडी एंड डी कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी।

एमएनआरई ने 2017-18 से 2019-20 तक की मौजूदा तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार कार्यक्रम के लिए अपने आरडी एंड डी प्रयास को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अनुप्रयोग उन्मुख नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए अनुसंधान और विकास के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीयता आश्वासन के लिए परीक्षण और मानकीकरण के साथ एकीकृत है। एक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार नीति (टीडीआईपी) को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी विकास और निष्पादन, परीक्षण और मानकीकरण, स्टार्ट-अप के साथ जुड़े नवाचार के लिए पुरस्कार, अनुसंधान, नवाचार और सत्यापन के लिए समर्थन के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है।

<u>स्वदेशी सोलर पीवी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं</u>

क. व्यापक सौर पीवी विनिर्माण नीति

एमएनआरई भारत में सौर पीवी मॉड्यूल, कोशिकाओं, वेफर्स/इनगोट्स और पॉलीसिलिकॉन की विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तावित कर रहा है, जो निम्नलिखित को प्रोत्साहन प्रदान करता है:

- नई क्षमताओं/क्षमता उन्नयन के लिए पूंजीगत सब्सिडी
- मौजूदा और आगामी विनिर्माण इकाई के लिए उत्पादन सब्सिडी
- सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन
- विनिर्माण इकाई को बिजली की आपूर्ति की लागत को कम करने के लिए, बैंकिंग से प्राप्त बिजली के प्रावधान के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति

ख. सौर पीवी बिजली संयंत्र के लिए पीपीए से जुड़ी सौर पीवी विनिर्माण इकाई

- एमएनआरई ने भारत में सौर पावर प्लांट के लिए 10 गीगावॉट के पीपीए के रूप में सुनिश्चित ऑफटेक से जुड़े लगभग 3 गीगावॉट के सौर पीवी विनिर्माण क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की है।
- विनिर्माण क्षमता को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें पीपीए के शुल्क के लिए बोली लगाई जाएगी और बोलीदाता को आवंटित की गई क्षमता पूर्णता के आधार पर होगी।"

16. समिति यह पाकर निराश है कि भारत में अभियांत्रिकी, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के लगभग सभी क्षेत्रों में काफी प्रौद्योगिकीय विकास होने और `मेक इन इंडिया` कार्यक्रम और `आत्मनिर्भर भारत` जैसे प्रशंसनीय पहलों के बावजूद 85 प्रतिशत सौर पैनल अभी भी चीन से आयात किए जा रहे हैं क्योंकि प्राथमिक रूप से उन्हें सस्ता और तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है । समिति इस बात को लेकर काफी आशंकित है कि आजकल की भू-राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर अत्यधिक निर्भरता उल्टा साबित हो सकती है क्योंकि किसी प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आयात बाधित हो सकता है जिसकी वजह से हमारे आर्थिक एवं वाणिज्यिक उद्यम प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकते हैं । इस तथ्य के आलोक में इसका महत्व और बढ़ जाता है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य में से 100 गीगावाट अकेले सौर ऊर्जा से हासिल किए जाने का लक्ष्य है । ऐसी परिस्थिति में, आयात में किसी प्रकार की बाधा से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में सभी हितधारकों के सामने गंभीर चुनौती पैदा हो सकती है । आयात के साथ जुड़ी इस अंतर्निहित खतरे के दृष्टिगत समिति की यह सुदृढ़ राय है कि महत्वाकांक्षी `मेक इन इंडिया` कार्यक्रम का लाभ लेते हुए और `आत्मनिर्भर भारत` की पुकार के दृष्टिगत घरेलू विनिर्माताओं, उद्यमियों को सौर पी वी मॉड्युल्स, सौर बैटरियों, लिथियम बैटरियों और अन्य सौर उपकरणों (कलपुर्जों) का प्राथमिकता के आधार पर स्वदेशी रूप से निर्माण करने और वैकल्पिक बैटरी प्रणाली विकसित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए ।

17. **समिति आगे पाती है कि स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अब तक जिस गति से मंत्रालय आगे बढ़ा है उस पर गंभीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि सौर पी.वी. मॉड्यूलस का विनिर्माण क्षमता सृजित करने की योजना अभी भी सिर्फ प्रस्ताव चरण में है । समिति यह भी चाहती है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अब तक उठाए गए कदम केवल व्यापक दिशा -निर्देश भर है और वह भी मात्र प्रस्ताव चरण में है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अब तक कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की गयी है । इसलिए समिति महसूस करती है कि अनुसंधान और विकास कार्य पर और अधिक ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है तथा आई आई टी और अन्य अग्रणी तकनीकी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है ताकि स्वदेशी उत्पादन शीघ्र गति पकड़ सके। समिति यह भी चाहती है कि सौर पी. वी. मॉड्यूलस विनिर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण हेतु एक व्यापक रणनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है । समिति इस बात पर जोर देती है कि इन कदमो को मिशन मोड में लिया जाना चाहिए ताकि सौर पी. वी. मॉड्यूलस के स्वेदशी उत्पादन की स्थिति शीघ्र हासिल की जा सके तथा आयातित मदों/प्रोदिगिकी पर निर्भरता कम की जा सके। सौर पैनलों हेतु आयातों पर अत्यधिक निर्भरता के दृष्टिगत, समिति सरकार को सुझाव देती है कि अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतो के लक्ष्यो की प्राथमिकता पुन: निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए ताकि सुदृढ़ स्वदेशी क्षमता वाले स्रोतों जैसे पवन, हाइड्रो और जैव-ईंधन के संबंध में बेहतर आर्थिक परिणाम हासिल हो सके और सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने की गति को सौर पैनलों और उपकरणो के स्वदेशी उत्पादन के अनुरूप रखा जाये। अतएव समिति चाहती है कि उपलब्ध उपकरणों के वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत वैकल्पिक**

अक्षय ऊर्जा स्रोतों यथा पवन, हाइड्रो, जैव-ईंधन जिनका स्वदेशी साधनो के माध्यम से प्रभावी रूप से पता लगाया जा सकता है, पर और अधिक ध्यान दिया जाये। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों तथा सरकार द्वारा प्रोद्योगिकी विकास एवं नवाचार नीति(टीडीआईपी) को अंतिम रूप रूप दे दिये जाने के पश्चात उसके ब्यौरे के संबंध में भी जानकारी दी जाये।

स्टार्ट-अप/ छोटी परियोजनाओं का वित्तपोषण

सिफारिश (मूल प्रतिवेदन में क्रम सं. 14)

18. समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में 'स्टार्ट-अप/ छोटी परियोजनाओं का वित्तपोषण' विषय के संबंध में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी:

"समिति यह देख कर निराश है कि इरेडा ने अभी तक स्टार्ट-अप के लिए वित्तपोषण शुरू नहीं किया है, जो उस उत्तर से स्पष्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अभी तक किसी भी स्टार्ट-अप ने ऋण लेने के लिए इरेडा से संपर्क नहीं किया है। समिति इरेडा से उन कारकों का विश्लेषण करना चाहेगी, जिनके कारण स्टार्ट-अप वित्तपोषण के लिए इरेडा से संपर्क नहीं करते हैं।

समिति ने आगे कहा कि पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में छोटी परियोजनाओं के लिए काफी संभावना है। छोटी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सकारात्मक और अनुकूल नीतियों द्वारा क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। समिति को अवगत कराया गया है कि इरेडा परियोजना ऋण को 50 लाख रुपये से कम और वित्त सौर परियोजना को 1 मेगावाट और उससे अधिक की कुल क्षमता के साथ और 1 मेगावाट से कम आकार की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करती है।

इस संबंध में समिति को वित्त वर्ष में हाइडल, सौर, पवन, जैव-द्रव्यमान आदि विभिन्न क्षेत्रों में लघु परियोजनाओं को दिए जाने वाले पोषण/ऋण के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

समिति का विचार है कि स्टार्ट-अप/छोटी परियोजनाएँ क्षेत्र में नवीनता लाती हैं और नवीकरणीय ऊर्जा उभरता हुआ क्षेत्र है, स्टार्ट-अप/छोटी परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में तत्काल अनुकूल नीतियां बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तपोषण के लिए सरल प्रक्रियाओं/औपचारिकताओं का होना की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब स्टार्ट-अप/छोटे उद्यमी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सनदी लेखाकारों /व्यवसायियों की सेवाएं नहीं लेते। इरेडा को आरई क्षेत्र के लिए विशेष सरकारी वित्तपोषण एजेंसी होने के नाते, सक्रिय रूप से कार्य करने और स्टार्टअप/छोटे उद्यमियों तक पहुंचने की कोशिश करने की आवश्यकता है। आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना भी आवश्यक है।"

19. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"एमएनआरई ने जनवरी 2011 में सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), आईआईएम, अहमदाबाद के लिए स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा में उद्यमी विकास का समर्थन किया। इस परियोजना के अंतर्गत, 2011 में इस शर्त के साथ कुल 24 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था कि निजी क्षेत्र के निवेशकों से सीआईआईई द्वारा समान निवेश जुटाया जाएगा। परियोजना के लिए सीआईआईई, आईआईएम, अहमदाबाद को अब तक 22.47 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सीआईआईई, आईआईएम, अहमदाबाद ने परियोजना के लिए निजी निवेशकों से 25 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। इस परियोजना ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 40 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया है। इस परियोजना ने उद्यमी विकास पर उपयोगी अनुभव प्राप्त किया है।

हालाँकि, स्टार्ट-अप को आमतौर पर प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है जो उद्यम निधि द्वारा प्रदान की जाती है। इरेडा किसी भी नई परियोजना/उपक्रम में कथित जोखिमों को कम करने के बाद नई तकनीक, नई परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। मंत्रालय प्रौद्योगिकी निष्पादन परियोजना मोड के अंतर्गत नई तकनीक का वित्तपोषण करता है।

इरेडा द्वारा 5 मेगावाट तक की वित्तपोषित छोटी परियोजना का विगत चार वर्षों का क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक VII में संलग्न है।"

20. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में अपनी निराशा व्यक्त की थी कि किसी भी स्टार्ट-अप ने ऋण लेने के लिए इरेडा से संपर्क नहीं किया है तथा समिति ने इरेडा से उन कारणों का विश्लेषण करने के लिए कहा था जिनके कारण स्टार्ट- अप वित्तपोषण हेतु इरेडा से संपर्क नहीं करते हैं । समिति की यह राय है कि प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाने से वांछित परिणाम हासिल नहीं होंगे । समिति महसूस करती है कि एजेंसी को विभिन्न स्थानों पर लघु उद्यमियों और विभिन्न प्रमुख तकनीकी और प्रबंधन संस्थाओं में विभिन्न स्टार्ट हबों तक सक्रिय रूप से पहुंचने की आवश्यकता है ताकि उनके अनुसंधान एवं विकास कार्यों का आकलन किया जा सके और इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके । समिति ने यह भी नोट किया था कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छोटी परियोजनाओं के लिए काफी संभावना है । नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि सीआईआईई, आईआईएम अहमदाबाद ने निजी निवेशकों से 25 करोड़ रुपये से अधिक रुपये जुटाए हैं । इस परियोजना ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 40 स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया है । हालांकि स्टार्ट-अप्स के भविष्य, अथवा वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से स्टार्ट-अप वित्तपोषण हेतु इरेडा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, के बारे में एजेंसी ने नहीं बताया है । साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र की लघु परियोजनाओं का वित्तपोषण किए जाने के संबंध में की गई पहलों के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है । समिति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आमतौर पर जरूरतमंद व्यक्ति वित्तपोषण हेतु बैंकों से संपर्क करते हैं, यह सुझाव देना चाहेगी कि इरेडा भी बैंकों के साथ टाई-अप करने हेतु एक तंत्र विकसित करे ताकि जरूरतमंद उधारकर्त्ता बैंकों के माध्यम से भी इरेडा तक पहुंच सकें । समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है और यह चाहती है कि उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में इरेडा द्वारा की गई पहलों और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने हेतु उनके द्वारा उठाए गए कदमों तथा स्टार्ट-अप के संबंध में वित्तपोषण को उधारकर्त्ताओं हेतु और अधिक प्रोत्साहन जनक बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों से उसे अवगत कराया जाए ।

<u>अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे</u>

सिफारिश (मूल प्रतिवेदन में क्रम सं. 16)

21. समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के संबंध में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी:

"समिति ने लेखापरीक्षा के दौरान इरेडा से संबंधित, विशेष रूप से लेखापरीक्षा अनुच्छेद में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के अलावा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित अन्य मामलों की भी पूरी जांच की। इस संबंध में समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें इस प्रकार हैं:

<u>(क) लोगों को पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए संवेदनशील बनाना</u>

"समिति ने ध्यान दिया है कि इरेडा/एमएनआरई अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण और निकासी के हिस्से के रूप में, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम में शामिल है और एमएनआरई की

योजनाओं/कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया जाता है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई स्वीकृत और स्थापित क्षमता पर आंकड़ों के विश्लेषण में यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने स्वीकृत क्षमता का 30% से कम हासिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने क्रमशः 5% और 10% क्षमता हासिल की है। केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों ने अपनी स्वीकृत क्षमता से बहुत अधिक क्षमता स्थापित की है। समिति ने इस पर ध्यान दिया है और चिंतित है कि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, दमन और दीव और दादर-नागर हवेली जैसे राज्यों में शून्य स्वीकृत क्षमता है। इस कार्यक्रम में इस तरह के उच्च स्तरीय बदलावों को देख कर समिति को आश्चर्य हुआ है। समिति का विचार है कि सरकार सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है तो उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना अनिवार्य हो गया है। भारत विश्व में प्रति व्यक्ति बिजली के सबसे कम उपभोग करने वाले देशों में से एक है। समिति इस बात से निराश है कि ऊर्जा की कमी और आपूर्ति की उच्च लागत के बावजूद, रूफ-टॉप सौर पीवी सिस्टम अभी तक भारत में व्यापक रूप से नहीं लगे हैं। समिति को लगता है कि मुख्य रूप से अपर्याप्त वित्तपोषण, अपरिचित प्रौद्योगिकी और कम उपभोक्ता जागरूकता की कमी के कारण ऐसा है। समिति ने यह भी ध्यान दिया है कि सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन में जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी की अनुपलब्धता, सब्सिडी के वितरण में लंबी देरी और योजना में निरंतरता नहीं होना जैसी विभिन्न विसंगतियां हैं। इसलिए, रूफ-टॉप सौर कार्यक्रम ने वांछित स्तर हासिल नहीं किया है।

समिति का विचार है कि सरकार की नीति और लागत प्रभावशीलता के आधार पर सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बदलने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक के स्थायी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। समिति ने ध्यान दिया है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व बैंक का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण तंत्र उपलब्ध हैं। इसलिए, समिति की इच्छा है कि सरकार इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाए और इच्छुक निवेशकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें तकनीक से परिचित कराए। यह केवल रूफ-टॉप बाजार के लिए ही एक प्रमुख नवाचार के अनुरूप नहीं होगा, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर कम लागत वाली बिजली की जरूरत को संबोधित करते हुए सौर पीवी के लिए निवेश के माहौल में सुधार करेगा। साथ ही समिति को आशा है कि, यह जनता को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बचाने के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करेगा।"

(ख) आवासीय परिसर पर रूफ-टॉप सोलर पैनल की स्थापना

समिति संज्ञान लेती है कि कई राज्यों की अपनी नीतियां हैं, और आम जनता द्वारा उनके निवासों पर सौर पैनलों की स्थापना इन नीतियों द्वारा संचालित होती है जिनमे अलग-अलग राज्यों में भिन्नता होती है। समिति को अवगत कराया गया है कि सौर पैनल की लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति किलोवाट है और कई निजी बैंक लोगों को इसके लिए ऋण प्रदान करते हैं। हालाँकि, आमतौर पर लोग सोलर रूफ टॉप पैनल के लिए बड़ी रकम खर्च करने में संकोच करते हैं क्योंकि मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लोगों को नहीं दी जाती है। समिति सरकार के आवासीय रूफटॉप कार्यक्रम में एक अच्छा भविष्य देखती है और महसूस करती है कि अधिक से अधिक लोगों के रूफटॉप सौर का उपयोग करने से डिस्कॉम पर दबाव को कम किया जा सकता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार को लोगों में इस कार्यक्रम, बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सुविधा और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।

***(ग)* सरकारी, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो और रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज आदि पर रूफ टॉप सोलर पैनल का प्रचार।**

समिति ने ध्यान दिया है कि बिजली बचाने और भूमि का उपयोग करने के लिए सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। समिति को सूचित किया गया है कि सौर पैनलों का जीवनकाल प्रत्येक 10 वर्षों में 10% की गिरावट के साथ 25 वर्ष का है और सौर पैनल के माध्यम से उत्पादित बिजली लागत प्रभावी है। इसके अलावा, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और सामाजिक क्षेत्र में रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक और एडीबी के माध्यम से बहुपक्षीय वित्तपोषण भी प्रदान किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर फुट-ओवर ब्रिजों को कवर करने के लिए धातु शेड के स्थान पर सौर पैनलों की स्थापना के बारे में, मेट्रो स्टेशन, समिति को सूचित किया गया है कि सरकार सौर पैनलों को स्थापित करने का प्रयास कर सकती है लेकिन इस तरह के डिज़ाइन की दक्षता सौर मॉड्यूल की दक्षता को सीमित कर देगी। पहले से ही छत के रूप में सौर पैनलों के उपयोग के साथ इस मॉडल को कई संगठनों के पार्किंग शेड पर आजमाया जा चुका है। सौर पैनलों की लागत प्रभावशीलता और दीर्घायु पर ध्यान देते हुए, समिति का सुझाव है कि सरकार को रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप सहित औद्योगिक, वाणिज्यिक और सरकारी भवनों की छत पर सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों आदि को भी अपने भवन में सौर पैनलों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रेल और मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग शेड और फुट-ओवर ब्रिज पर पहले से स्थापित सौर पैनलों की दक्षता का आकलन किया जाना चाहिए और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

(घ) जल निकायों पर सौर पैनलों की स्थापना

समिति को सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन (एनएसएम) के अंतर्गत नहर के किनारों और नहर-टॉप्स पर ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत् संयंत्र के विकास के लिए एक 'पायलट-कम-डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट' के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में **50** मेगावाट कैनाल-टॉप और **50** मेगावाट कैनाल-बैंक सौर पीवी बिजली परियोजनाओं की पूर्ण लक्षित क्षमता स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इरेडा नहर के किनारों और नहरों में सबसे ऊपर स्थापित सौर परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है जिन्हें कुछ डेवलपर्स द्वारा लागू किया गया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि जानवरों, पक्षियों, पौधों और मनुष्यों द्वारा उपभोग के लिए नहरों पर या पानी पर सौर पैनलों को स्थापित करने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। समिति ने ध्यान दिया है कि यद्यपि भारत में जल निकायों पर सौर पैनल स्थापित करने की अवधारणा नई है, लेकिन तालाबों, झीलों जैसे जल निकायों पर विश्वव्यापी सौर पैनल स्थापित किए गए हैं। समिति का मानना है कि इस अवधारणा से बिजली बचाने में मदद मिलेगी क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में जल निकाय/झीलें/नहरें हैं जिनमें से कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। समिति का सुझाव है कि मंत्रालय और इरेडा को इस परियोजना पर सत्यनिष्ठा से काम करना चाहिए और विभिन्न राज्यों के डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए अपनी वेबसाइट और प्रिंट मीडिया पर व्यापक प्रचार करना चाहिए। हालाँकि, सौर पैनलों को स्थापित करते समय, उन जल निकायों के परिवेश को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं।

(ङ) राजमार्गों पर सौर पैनलों की स्थापना

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पथ प्रकाश के लिए सौर-पैनलों के उपयोग के बारे में, समिति ने ध्यान दिया है कि एमएनआरई ने झारखंड के देवगढ़ से बासुकीनाथ मंदिर तक **5 x 100** केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ **50** किमी पथ का समर्थन किया गया है। सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समान मॉडल का प्रयास करने का प्रस्ताव दिया है। बेहतर रखरखाव और सुरक्षा के

लिए केंद्रीकृत स्थान के साथ प्रति किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत लगभग. **15** लाख रुपये होगी। समिति ने सरकार की पहल की सराहना की क्योंकि देश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के विशाल नेटवर्क को देखते हुए राजमार्गों पर सौर पैनल लंबे समय में प्रभावी साबित होंगे। समिति इस बात पर जोर देती है कि अधिक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर किया जाना चाहिए और इस पर प्रगति पर एनएचएआई और राज्य सरकारों से इस मामले पर और साथ ही एमएनआरई की भविष्य की योजनाओं पर प्राप्त प्रतिक्रिया से अवगत होने की इच्छा जाहिर की है।

(च) विभिन्न राज्यों द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन

समिति ने ध्यान दिया है कि पवन ऊर्जा क्षमता मुख्य रूप से **8** या **9** राज्यों में मौजूद है और इनमें से अधिकांश राज्य अभी तक अपनी पूर्ण पवन क्षमता का दोहन नहीं कर पाए हैं। एमएनआरई ने इनकी ऊर्जा का दोहन करने के लिए पहल की है, लेकिन वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। डेवलपर्स और राज्यों द्वारा पवन ऊर्जा क्षेत्र में लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के कुछ प्रमुख कारकों के रूप में भूमि आबंटन में देरी, विशेष रूप से वन भूमि की मंजूरी प्राप्त करना, सटीक पूर्वानुमान और समय-निर्धारण प्रणाली का विकास न कर पाना, पवन ऊर्जा जनरेटर के भुगतान में देरी, 'सबसे अधिक चलने वाली' स्थिति का अनुपालन नहीं करना, पवन ऊर्जा जनरेटर का टूटना, आदि को उद्धृत किया गया है। समिति ने पाया कि राज्य सरकारों ने डेवलपर्स की समस्याओं से निपटने, विशेष रूप से जमीन के आवंटन और और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की है, जो परियोजनाएं शुरू करने में देर होने का मुख्य कारण हैं।

समिति ने ध्यान दिया है कि सरकार अन्य उपयोगी पहलों के अलावा, अक्षय संसाधन संपन्न राज्यों में **11** स्थानों पर अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसीएस) स्थापित कर रही है। हालाँकि, समिति यह भी जानती है कि अभी तक एक भी आरईएमसीएस स्थापित नहीं किया गया है। समिति ने आरईएमसीएस की स्थापना में तेजी लाने की सिफारिश की है, जिससे ग्रिड संचालन के साथ निकटता से समन्वय करने के लिए आरई उत्पादन के समाधान और वास्तविक समय निगरानी के लिए उन्नत पूर्वानुमान, प्रेषण में बहुत सहायता मिलेगी। समिति ने, सरकार से भारत में सभी राज्यों में पवन ऊर्जा डेवलपर्स की सभी चिंताओं का ध्यान रखने के लिए जल्द से जल्द एक व्यापक नीति लागू करने की सिफारिश की है। नीति में लागत को कम करने पर ध्यान देने के साथ-साथ पवन परियोजनाओं को स्थापित करने के जोखिम को कम करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(छ) पुरानी पवन इकाइयों की स्थापना से बचना

समिति को इसका संज्ञान लेते हुए प्रसन्नता है कि पवन ऊर्जा इकाइयों के निर्माताओं द्वारा **70** प्रतिशत स्वदेशीकरण पूरा किया गया है। हालाँकि, समिति को भारत में नई इकाइयों के रूप में पुरानी पवन ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया है, जो पहले अन्य देशों में बंद थीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इरेडा या एमएनआरई के अधिकारियों को इस तरह की स्थापनाओं की जानकारी नहीं है। समिति ने आशंका व्यक्त की कि एमएनआरई और इरेडा के जानकारी के बिना इस तरह की स्थापनाएं हो रही हैं। अब इन बातों को इरेडा/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है, तो यह आशा की जाती है कि ऐसी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सरकार नई पवन इकाइयों के स्वदेशीकरण और स्थापना को बढ़ावा देगी। समिति छोटी टरबाइनों के स्थान पर बड़ी टरबाइनों के प्रतिस्थापन में तेजी लाने की सिफारिश करती है जिससे क्षमता (पवन ऊर्जा की क्षमता) को बढ़ाया जा सके।

22. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"(क) एमएनआरई रूफटॉप सोलर (आरटीएस*)* योजना के अंतर्गत आरटीएस संयंत्रों की स्थापना के लिए आवासीय, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्र के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के लिए एमएनआरई द्वारा अनुमोदित क्षमता के विरुद्ध निश्चित समय सीमा के भीतर लक्षित आरटीएस क्षमता की उपलब्धि पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। यह योजना राज्य नोडल एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल स्पिन के माध्यम से सब्सिडी/प्रोत्साहन के अनुमोदन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं। योजना संचालित है और कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त होना बाकी है। सब्सिडी/प्रोत्साहन श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित सब्सिडी और सब्सिडी/प्रोत्साहन रहित श्रेणी के अंतर्गत राज्य-वार क्षमता पर अद्यतन विवरण अनुलग्नक-VIII की तालिका में दिया गया है। देखा जा सकता है कि कुछ राज्यों में गैर-सब्सिडी वाले क्षेत्र में आरटीएस क्षमता स्थापना की अच्छी प्रगति है। परियोजना की पूर्णता अवधि आमतौर पर मंजूरी की तारीख से 15 से 18 महीने तक भिन्न होती है। एमएनआरई द्वारा प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सब्सिडी/प्रोत्साहन दिया जाता है। देखा गया है कि इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी विलंब होता है।

कई अनुमोदन प्रक्रियाओं की भागीदारी, उच्च टैरिफ भुगतान करने वाले ग्राहकों के बाहर जाने, राज्य के नियमों की अनेकरूपता, कौशल और ज्ञान अंतर, डिस्कॉम द्वारा राजस्व के नुकसान की आशंका जागरूकता की कमी, आदि के कारण आरटीएस संयंत्रों की स्थापना प्रारंभिक चरण के दौरान धीमी थी। मंत्रालय ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल का विकास, सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना, नीतियों और विनियमों में अंतराल को चिन्हित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मैनुअल, कौशल विकास और डिस्कॉम/बैंकों की क्षमता का निर्माण आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने विभिन्न (बहुपक्षीय/द्विपक्षीय) तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों को सहायता प्रदान करके देश में आरटीएस को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और इनमें पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ पाने के लिए पूर्व अनुमोदन के साथ मांग का एकत्रीकरण, एकल खिड़की पोर्टल बनाना, आवेदन प्रक्रिया से लेकर कमीशन/नेट-मीटरिंग इंस्टॉलेशन और सब्सिडी जारी करना, क्षमता निर्माण गतिविधियां, अनुकूल नीतियों और विनियमों का निर्माण, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, डिस्कॉम में आरटीएस सेल बनाना आदि शामिल हैं।
(ख) आरटीएस योजना एसएनए और पीएसयू द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आरटीएस क्षमता की मंजूरी के बाद इन एजेंसियों को *15-18* महीने की समयावधि के भीतर परियोजना को पूरा करना होगा। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सब्सिडी/प्रोत्साहन दिया जाता है। यह देखा गया है कि कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी देरी हुई है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एकल खिड़की पोर्टल बनाया गया है जो आवेदन चरण से लेकर कमीशन/नेट-मीटरिंग इंस्टॉलेशन और सब्सिडी जारी करने तक का ध्यान रखेगा और इस प्रक्रिया को उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

जहाँ तक जागरूकता का संबंध है मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान की योजना बनाई है ताकि जनता में आरटीएस के बारे में जागरूकता की जा सके।

(ग) सौर पीवी मॉड्यूल की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले सौर पीवी मॉड्यूल की स्थापना के एमएनआरई दिशानिर्देश आईईसी/बीआईए मानकों की पुष्टि करते हैं।

विभिन्न रेलवे परिसरों, मेट्रो रेल के स्थानों आदि में आरटीएस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नोएडा मेट्रो रेल और लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को पहले ही आरटीएस परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन संगठनों द्वारा लगभग *68* मेगावाट की सकल क्षमता को चालू किया गया है।

एमएनआरई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सरकारी भवनों में आरटीएस परियोजनाओं की स्थापना के लिए लगातार राज्य सरकारों से भी संपर्र कर रहा है। इसके मॉडल भवन उपनियमों में एमओयूडी ने एक निश्चित क्षेत्र से ऊपर की सभी इमारतों पर आरटीएस परियोजनाओं की स्थापना का प्रावधान किया है और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भवन निर्माण नियमों में परिवर्तन करके भवनों पर आरटीएस को अनिवार्य करने के लिए लिखा है। चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) ने उपनियमों/विनियमों को अनिवार्य कर दिया है।
(घ) नहर के किनारों और नहर-शीर्ष पर ग्रिड से जुड़े सौर पीवी बिजली संयंत्रों के विकास के लिए एमएनआरई के 'पायलट-कम-डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट' के अंतर्गत, नहर-शीर्ष नहर के किनारों पर **94** मेगावाट सौर पीवी बिजली परियोजनाओं को चालू किया गया है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, एमएनआरई ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड **(**एसईसीआई**)** को भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए, निर्देशित किया है।

एसईसीआई ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध पर 150 मेगावाट का तैरता सौर पीवी बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा जारी की है।

इसके अलावा, दिसंबर 2012 में, इरेडा ने उत्तराखंड में मेसर्स सवोग ग्लोबल पावर लिमिटेड की 14.5 मेगावाट की कैनाल बैंक सोलर पीवी पावर परियोजना को मंजूरी दी थी और इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये का संवितरण किया था। इरेडा ने तमिलनाडु में 22 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना को स्थापित करने के लिए भी मंजूरी दी है।

(ड़.) मंत्रालय ऑफ-ग्रिड सोलर पीवी प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश में सौर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है, उत्तर पूर्वी राज्यों और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में जहाँ पथ प्रकाश प्रणाली की कोई सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों पर ग्रिड पावर के माध्यम से विशेष जोर दिया गया है। जहां तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश व्यवस्था का प्रश्न है, इसके लिए मुख्य रूप से ग्रिड पावर के माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं, हालाँकि, एनएचएआई और राज्य प्राधिकरण सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जो सस्ती ऊर्जा भंडारण समाधान की उपलब्धता के साथ भविष्य में अधिक लागत प्रभावी साबित हो सकती है। एमएनआरई इससे संबंधित मानकों और विनिर्देशों को निर्धारित करने के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है।"

23. समिति द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपाय किए गए हैं । तथापि, समिति यह पाती है कि स्वदेशी सौर उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत वर्तमान में सौर ऊर्जा का विस्तार अधिकांशतः आयातित सामग्रियों पर निर्भर है । इसलिए समिति महसूस करती है कि जब तक सौर उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त स्तर पर पहुंचे तब तक वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों यथा पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायो-ईंधन आदि के विकास पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि `आत्मनिर्भर भारत` का सपना सच्च् अर्थों में साकार हो सके ।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम सं. 1)

अक्षय ऊर्जा के विकास में इरेडा का योगदान

इरेडा, भारत सरकार का एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, जिसे अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1987 में स्थापित किया गया, जिसने अब तक 7525 मेगावाट से अधिक 'हरित क्षमता निर्माण' का समर्थन करने वाली 2382 स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें रु. 48,832 करोड़ की ऋण प्रतिबद्धता के साथ ही रू. 27,790 करोड़ का संवितरण भी किया गया है, जिसने भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान की है। समिति ने चिन्हित किया कि एमएनआरई की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने में हरित ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के स्तर पर, 15.2.2015 से लेकर 30.9.2016 तक की अवधि में कुल स्वीकृत राशि और कुल संवितरित राशि के मामले में देश के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बाद इरेडा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा अग्रणी एनबीएफसी संस्थान है।

समिति ने चिन्हित किया कि 31 दिसंबर, 2016 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 50,068 मेगावाट थी और 2022 तक यह 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ओर लक्षित है। इस संदर्भ में, सरकारी पुनर्वित संस्थान के रूप में इरेडा को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इरेडा द्वारा निभाई गई भूमिका और योगदान को ध्यान में रखते हुए, समिति को लगता है कि अभी भी 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हुए, आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा के इस युग में, इरेडा को एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में तथा इस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख निजी संस्थानों के साथ, बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्थायी प्रयासों की आवश्यकता है। समिति आशा करती है और विश्वास रखती है कि इरेडा सभी वांछित पहलों को पूरा करेगा और अक्षय ऊर्जा पुनर्वित क्षेत्र के एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरेगा, जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा जो देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता होगी।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों को मार्गदर्शन हेतु चिन्हित किया गया है। इरेडा यह सुनिश्चित करने के लिए वे सभी प्रयास करेगा जिससे देश में अक्षय ऊर्जा की गति वित्त के अभाव के कारण धीमी न हो। इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि 31.08.2019 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 71.85 गीगावाट तक बढ़ाया जा चुका है और इरेडा 31.08.2018 तक क्रमश: रु. 62,077.87 करोड़ और रु. 98297.63 करोड़ की राशि के संचयी ऋणों को स्वीकृत और संवितरित कर चुका है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 340-16/1/2018-इरेडा तिथि: 26.11.2018)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं. 7 देखें)

सिफारिश (क्रम सं.2)

<u>इरेडा की बाजारीय भागीदारी</u>

समिति ने चिन्हित किया कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की शुरुआत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित की गई क्षमता में इरेडा की भागीदारी 52.83 प्रतिशत थी, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में घटकर 19.21 प्रतिशत हो गई और इसके बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 7.66 प्रतिशत ही रह गई। इस प्रकार, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को स्थायी बनाए रखने में सक्षम नहीं था। एमएनआरई द्वारा समिति को प्रस्तुत जानकारी में, कुल स्थापित की गई क्षमता में इरेडा के हिस्से का एक अलग दृष्टिकोण बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत और अंत में इरेडा की हिस्सेदारी क्रमश: 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थी। इसके अलावा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इरेडा की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत थी। समिति, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों और समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई संशोधित स्थिति में उपस्थित भारी अंतर को समझने में सक्षम नहीं है। यहां तक कि समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई संशोधित स्थिति कई वर्षों से इरेडा के हिस्से में होने वाली गिरावट की ओर भी संकेत करती है।

जब विशिष्ट रूप से इसके कारणों को पूछा गया, तो इरेडा ने यह कहते हुए सफाई देने की कोशिश की है कि वे संपूर्ण संवितरण और स्वीकृतियों के संदर्भ में सीएजीआर के लगभग 23 प्रतिशत की लगातार वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे ही एक जवाब में इरेडा ने कहा है कि संस्था बाजारीय हिस्सेदारी को लगभग 12 प्रतिशत तक बनाए रखने में सक्षम थी और इसके बाद के साक्ष्य जवाबों में यह कहा गया है कि इरेडा 10-12 प्रतिशत की बाजारीय हिस्सेदारी बनाए हुए है। समिति ने इरेडा की ओर से इन जवाबों में शालीनता का भाव पाया। समिति ने इरेडा को आगाह किया है और आगे वह कंपनी से यही चाहेगी कि वह अपने प्रदर्शन की निरंतर निगरानी करे तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने हिस्से को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की पहलों में आगे आए, खासकर जब निजी क्षेत्र अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के पुनर्वित में गहरी दिलचस्पी ले रहा हो।

सरकार का जवाब

समिति की टिप्पणियों को मार्गदर्शन के लिए चिन्हित किया गया है। हालांकि, यह समिति के ध्यान को इस ओर आकर्षित करने के लिए है कि इरेडा द्वारा उसकी स्वीकृतियों और संवितरणों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

2012-13 तक की 25 वर्षीय अवधि में संचयी स्वीकृतियां रु.22424 करोड़ थी, जबकि पिछले पांच वर्षों (मार्च 2018 तक) में संचयी स्वीकृतियां रु.38502.67 करोड़ थीं, अर्थात् पिछले 25 वर्षों का 1.71 गुना। इसी प्रकार, 2012-13 तक की अवधि के दौरान संचयी संवितरण रु.11848.79 करोड़ था, जबकि पिछले पांच वर्षों में संचयी संवितरण रु.24269.79 करोड़ था, अर्थात् पिछले 25 वर्षों का 2.04 गुना।

यह भी सूचित किया जाता है कि इरेडा 1987 से अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण के इस विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है तथा शुरूआती दिनों में केवल इरेडा ही एकमात्र अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण संस्था थी। वर्तमान में, स्थायी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र सहित अधिकांश बैंकों और वित्तपोषण एजेंसियों ने भी इस क्षेत्र के लिए

ऋण देना शुरू कर दिया है, जो अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण बाजार के विकास में उस प्रारंभिक मुख्य भूमिका को दर्शाते है, जिसे इरेडा ने निभाया था।

इरेडा की महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी उसके वरिष्ठ प्रबंधन, मंडल (स्वतंत्र निदेशकों सहित), मंत्रालय और डीपीई द्वारा निरंतर आधार पर की जा रही है।

इसकी सराहना हो सकती है कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में ऋणों को अधिकरण करने, जोखिम अंकन, डाउन-सेलिंग इत्यादि पर विचार करते हुए, बाजारीय हिस्सेदारी की निगरानी का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। हालांकि, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी वित्तदाता बने रहने के लिए निरंतर नए और अभिनव वित्तपोषित उत्पादों का विकास कर रहा है। इसके अलावा, 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगीवाट की स्थापना के भारत सरकार के लक्ष्य के मद्देनजर इस क्षेत्र की घातीय वृद्धि को देखते हुए, अन्य एनबीएफसी/बैंकों द्वारा वित्त पोषण प्रदान करना भी इस क्षेत्र के वृद्धि के लिए आवश्यक है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 340-16/1/2018-इरेडा तिथि: 26.11.2018)

<u>लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित की गई विसंगतियां</u> (सिफारिश (क्रम सं.3))

समिति यह अवलोकन करती है कि सी एंड एजी ने अपने लेखापरीक्षा विवरण में इरेडा द्वारा कई परियोजनाओं में वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन न करने की कुछ विसंगतियों को चिन्हित किया है। *अन्य बातों के साथ-साथ*, इस संदर्भ की विसंगतियों में शामिल हैं - पंजीकरण के बिना ही ऋण का संवितरण करना, ऋण जोखिम की सीमा को पार करना, संवितरण से पूर्व रेहन का सृजन न करना, कुछ परियोजनाओं में ट्रस्ट और रिटेंशन खाते का निर्माण न करना, कुछ परियोजनाओं में लंबे समयावधि के पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान करना, उन उधारकर्ताओं को अग्रिम ऋण प्रदान करना जिनके खाते एनपीए और कुछ परियोजनाओं में निगरानी न करने के कारण बंद कर दिए गए हैं। लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत कुछ उदाहरण जैसे (i) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की परियोजनाओं के लिए, ऋणों को पंजीकरण के बिना ही स्वीकृत किया गया था। जैसा कि लेखापरीक्षा से अवलोकन किया गया है, मैसर्स एससीआई इंडिया लिमिटेड के मामले में, ऋण के सापेक्ष प्रतिभूति को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग शर्तों को स्वीकृति पत्र और ऋण समझौते में लागू किया गया था; (ii) लेखापरीक्षा के अनुसार, इरेडा ने मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मैसर्स वायु इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईएल एंड एफएस विंड पावर लिमिटेड और ऐथेना डेमवे पावर लिमिटेड के मामलों में अपने ही जोखिम मानदंडों को पार कर लिया है। यह भी चिन्हित किया गया कि इरेडा द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति का सृजन किए बिना ही मैसर्स वेंकटेश्वरा स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था, जबकि यह एक सह-वित्तपोषित परियोजना थी तथा आंध्रा बैंक *समान* चरणीय व्यवस्था के बावजूद इरेडा की तुलना में उधारकर्ता से अधिक राशि वसूल करने में सक्षम था। इरेडा ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु उनके सभी वित्तपोषित मानदंड/दिशानिर्देश केवल सांकेतिक ही हैं। परियोजना की आवश्यकता के अंतर्गत बदलते परिदृश्य और दिशानिर्देशों के विचलन के अनुरूप समय-समय पर जब कभी भी दिशा-निर्देशों को समीक्षित/संशोधित/परिवर्तित किया गया है, तो इन्हें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। हालांकि, समिति इस संदर्भ में आश्वस्त नहीं हैं कि किसी परियोजना की बुनियादी आवश्यकताओं को कैसे समाप्त किया जा सकता है। वे मानते हैं कि लेखापरीक्षा आपत्तियों की मांग के अलावा, इस तरह की अनियमितताएं/विचलन पीएसयू की साख को प्रभावित करते हैं तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में इरेडा की स्थिरिता को नष्ट कर सकते हैं। समिति इन विचलनों को गंभीरता से

चिन्हित करते हुए, ऋण को स्वीकृत करते समय उचित सावधानी बरतने की सिफारिश करना चाहेगी।

सरकार का जवाब

ऋण को स्वीकृत करने के दौरान उचित सावधानी बरतने हेतु समिति की सिफारिशों को भविष्य में अनुपालन हेतु चिन्हित किया जाता है।

इसमें दर्शाए गए पक्षों के संबंध में विशिष्ट अवलोकन के अनुसार, स्थिति निम्नानुसार दी गई है:-

1. **बिना पंजीकरण के स्वीकृत परियोजना :-**

   (क) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड

   (ख) महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन लिमिटेड

   परियोजना के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार और उसको सरल किया गया है। इसके अलावा, किसी भी परियोजना को बिना पहले पंजीकृत किए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं होगी।

2. **एससीआई इंडिया लिमिटेड का मामला**

   यह पुष्टि करते हैं कि स्वीकृति के समय लागू प्रचलित वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार प्रतिभूति शर्तों को ऋण समझौते में निर्धारित किया गया था। (**अनुलग्नक-I** में ऋण समझौते की प्रति संलग्न है)। कंपनी, परियोजना परिसंपत्तियों का रेहन सृजित नहीं कर सकती थी और इसलिए उधारकर्ता संवितरण के लिए पात्र नहीं था। इसके अलावा, परियोजना मापदंडों में परिवर्तन के कारण, जैसा कि पूर्व-संवितरण दौरे के दौरान देखा गया, किसी संवितरण की सिफारिश नहीं की गई थी। इसी दौरान कंपनी ने संवितरण का लाभ नहीं लेने का निर्णय लिया।

3. **वित्त जोखिम सीमा को पार करना**

   (क) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड

   (ख) वायु इंडिया पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

   (ग) आईएलएंडएफएस विंड पावर लिमिटेड

   (घ) ऐथेना दमवे पावर लिमिटेड

   इरेडा, उपरोक्त परियोजनाओं में निदेशक मंडल की मंजूरी लेने के बाद, अपने वित्त जोखिम मानदंडों को पार कर गया था क्योंकि इरेडा की निवल संपत्ति बहुत कम थी और विकास के अवसर और क्रेडिट योग्य ग्राहक का लाभ लेने के लिए, वित्त जोखिम मानदंडों से आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, समिति की टिप्पणियों को भविष्य में अनुपालन के लिए चिन्हित किया गया है और यह आगे पुष्टि की गई है कि क्र.सं. a) एवं b) में उल्लेखित परियोजना के संबंध में वित्त जोखिम अब मानदंडों के भीतर हैं, क्र.सं. c) की परियोजना ने ऋण पूरी तरह चुका से दिया है और क्र. सं. d) की परियोजना के लिए अभी तक कोई संवितरण नहीं किया गया है।

4. मैसर्स वेंकटेश्वर स्पंज एंड पावर प्रा. लिमिटेड का मामला

इस बात की पुष्टि की जाती है कि इरेडा ने एसएआरएफ़एईएसआई अधिनियम, डीआरटी, आदि के तहत शुरू की गई कार्रवाई के माध्यम से अपनी पूरी देय राशि (बिना किसी त्याग के) अर्थात् बकाया मूल ऋण, ब्याज, तरलीकृत हरजाने और आकस्मिक शुल्क वसूल कर लिए हैं और इरेडा की पुस्तकों में खाता बंद के रूप में दर्ज है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 340-16/1/2018-इरेडा तिथि: 26.11.2018)

<u>ऋण की स्वीकृति, संवितरण और वसूली में अंतर (अनुशंसा क्र. सं. 4)</u>

समिति ने मंत्रालय/इरेडा द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का अवलोकन किया है कि यद्यपि 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत, संवितरित और वसूली ऋण की राशि निरपेक्ष रूप से बढ़ गई है, पर ऋण स्वीकृति की तुलना में ऋण संवितरण प्रतिशत 59 प्रतिशत से घटकर 53 प्रतिशत हुआ है। यही नहीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संवितरित ऋण जो कि 62 प्रतिशत था, उसकी तुलना में वसूली का प्रतिशत विशेष रूप से घटकर 33 प्रतिशत रह गया है। समिति, उपरोक्त निराशाजनक प्रचलन पर ध्यान देने के प्रति चिंतित है, जो स्पष्ट रूप से उन परियोजनाओं की गैर-व्यवहार्यता को इंगित करते हैं, जिनके लिए इरेडा द्वारा ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं, जैसा कि लेखापरीक्षण द्वारा बताई गई कुछ परियोजनाओं के विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है और समिति द्वारा इसकी आगे की जांच की गई है। मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी से पता चलता है कि ऋण की स्वीकृति के बाद, कई परियोजनाएं जिन पर लेखापरीक्षण ने आपत्तियां जताई, वे बंद हो गई हैं या उनके लिए संवितरण नहीं किया गया है, जिससे ऋण की स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक हो गई। उद्धृत करने के लिए विशेष उदाहरण जैसे (i) **श्री वेंकटेश्वर स्पंज एंड पावर प्रा. लिमिटेड;** (ii) **महिंद्रा पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड और** (iii) **रिन्यू विंड एनर्जी (राजस्थान) प्रा. लिमिटेड की परियोजनाओं के मामले में ऋण खाता, बंद के रूप में दर्ज है।** (i) **ऐथेना दमवे पावर लिमिटेड,** (ii) **भद्रागिरी पावर (प्रा,) लिमिटेड और** (iii) **वायु (इंडिया) पावर कॉर्पोरेशन (प्रा.) लिमिटेड के मामले में भी, कोई संवितरण नहीं किया गया है। एक अन्य मामला जो एनबी (Enbee) इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से संबंधित था, उसमें परियोजना को छोड़ दिया गया था। उपरोक्त विश्लेषण, विभिन्न एजेंसियों को इरेडा द्वारा ऋण दिए जाने वाली पूरी प्रणाली का फिर से अवलोकन करने की मांग करता है। समिति चाहेगी कि मंत्रालय/इरेडा परियोजन वार स्थिति का विश्लेषण करे और तदनुसार समिति को सूचित करे। इतना ही नहीं, किसी कंपनी को ऋण की स्वीकृत करने से पहले पीएसयू को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।**

सरकार का जवाब

मार्गदर्शन के लिए समिति की टिप्पणियों/अवलोकनों को चिन्हित किया गया है। हालांकि, समिति को सूचित किया जाता है कि ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के बाद ही ऋण प्रभावी होता है और प्रतिभूति के सृजन, परियोजना में प्रमोटर की इक्विटी डालने और परियोजना की भौतिक प्रगति के

बाद ही संवितरण प्रभावित होता है। इस प्रकार, सभी परियोजनाएं जिन्हें स्वीकृति दी जाती हैं वे ऋण का संवितरण नहीं ले पाती हैं।

समिति द्वारा उद्धृत उदाहरणों के संबंध में, जहां संवितरण प्रभावी नहीं हुआ है या परियोजना को छोड़ दिया गया है, यह सूचित किया जाता है कि यह स्थिति विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है जैसे कि प्रमोटर द्वारा परियोजना की स्थापना की योजना को त्यागना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में अयोग्यता, परियोजना क्रियान्वयन में देरी के कारण लागत का बढ़ना और परियोजना पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने में प्रमोटरों की असमर्थता आदि। लेखापरीक्षा द्वारा जांची गई परियोजनाओं के संबंध में स्थिति का विवरण **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है।

समिति द्वारा अपेक्षित, पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18 तक) के दौरान इरेडा द्वारा स्वीकृत मियादी ऋणों का विश्लेषण, ऋण समझौते का निष्पादन, संवितरित राशि, चालू करना / चालू करने के तहत क्षमता (**अनुलग्नक-III** के अनुसार पक्ष वार विवरण) का मूल्यांकन किया गया है और नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत है: -

तालिका: पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का सारांश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**राशि/क्षमता**
स्वीकृत	38,502.65
संवितरित	22,650.94
स्वीकृति का ऋण समझौता निष्पादित किया गया	22,706.65
संवितरित और चालू करना	11,263.42
संवितरित और चालू करने के तहत	5,809.62
निष्पादित ऋण समझौते में से कुल संवितरण	17,073.04
कुल स्वीकृति क्षमता	11324.59 MW
चालू करने की क्षमता	5999.08 MW
संवितरित और चालू करने के तहत क्षमता	2510.11 MW

विश्लेषण: यह उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि

- 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, कुल 38,502.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए ऋण के लिए 22,650.94 करोड़ रुपए के कुल संवितरण प्राप्त किए गए थे, जो स्वीकृत राशि का 58.83% है।
- अवधि के दौरान कुल स्वीकृत की गई राशि में से लोन के दस्तावेज 22,706.65 करोड़ रुपए के लिए निष्पादित किए गए थे, जो 58.97% तक का निर्माण करते हैं।
- रुपए 17,073.04 करोड़ के कुल संवितरण को निष्पादित ऋण से प्राप्त किया गया है जो कि निष्पादित ऋण का 75.19% है।
- ऋण को निष्पादित और संवितरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5999.08 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हुई और चालू करने के तहत क्षमता 2510.11 मेगावाट थी।

यह देखा जा सकता है कि ऋण समझौते के स्वीकृति और अंतिम निष्पादन और संवितरण का लाभ लेने के बीच हमेशा एक अंतर रहता है। 2017-18 की अंतिम तिमाही (**अनुलग्नक- IV**) के दौरान स्वीकृत ऋण की स्थिति निम्नानुसार है: -

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**राशि**
स्वीकृत	3133.69
संवितरित	612.98
स्वीकृति का ऋण समझौता निष्पादित किया गया	1589.74
संवितरित और चालू करना	348.72

नोट:- *वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में स्वीकृत ऋण के 3133.69 रुपए करोड़ में से, वित्त वर्ष 2018-19 में अब तक निष्पादित ऋण समझौता 1589.74 रुपए करोड़ का है।*

दूसरी तालिका के अवलोकन से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष की अंतिम तिमाही में स्वीकृत परियोजना की राशि 3134 करोड़ रुपए थी जिसके लिए केवल 1579.74 रुपए करोड़ का ऋण समझौता निष्पादित किया गया था। इन मामलों में ऋण समझौते का निष्पादन प्रगति पर है और वर्ष 2018-19 के शेष भाग के दौरान प्राप्त किया जाएगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत मियादी ऋण, निष्पादित ऋण समझौता, संवितरण और परियोजना चालू करने की परियोजना वार विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

संवितरित ऋण की वसूली के संबंध, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिए ऋण की वसूली कुल देय राशि 5,173.21 करोड़ रुपए के मुकाबले 5,115.74 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार वसूली का प्रतिशत देय राशि का 98.89% था।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 340-16/1/2018-इरेडा तिथि: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 5)

<u>ऋण की वसूली</u>

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान, सीएजी रिपोर्ट के पैरा संख्या 4.9 और 4.10 के अनुसार, इरेडा ने वनटाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के तहत 29 मामलों का निपटारा किया। जहां तक इन 29 ओटीएस मामलों की क्षेत्रवार संख्या का संबंध है, 10 वायु से संबंधित है, सौर और ब्रिकेटन में प्रत्येक 4, अपशिष्ट से ऊर्जा, सह-उत्पादन और जैवभार में प्रत्येक 3 तथा 2 लघु-पनबिजली से संबंधित हैं। इन 29 मामलों में, ब्याज आदि सहित मूलधन पर वसूली के लिए देय राशि 446.70 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 208.85 करोड़ रुपए की वसूली ओटीएस के माध्यम से की गई थी। इसलिए, इरेडा ने ओटीएस के कारण 237.85 करोड़ रुपए छोड़ दिए, जो कि उसकी बकाया देय राशि का आधे से ज्यादा है अर्थात् मूलधन के संदर्भ में 8 करोड़ रुपए, ब्याज के संदर्भ में 187.06 करोड़ रुपए और अन्य बकाया राशि जैसे कि तरलीकृत हर्जाना, आकस्मिक शुल्क इत्यादि के संदर्भ में 42.79 करोड़ रुपए हैं।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुसार, तब तक संवीक्षा के लिए चुने गए 17 ओटीएस मामलों में से, 14 मामलों में इरेडा ने ओटीएस/वित्तपोषण दिशानिर्देशों का विचलन किया। इस तरह के विचलन में अंतरिम ऋण जारी करने से पहले भौतिक निरीक्षण का आयोजन नहीं करना, जानबूझकर चूककर्ताओं आदि के लिए भी ओटीएस सुविधा देना, शामिल है। समिति की जांच से पता चलता है कि कई मामलों में, रेहन सृजन के बिना ही पक्षों को कई बार अंतरिम संवितरण किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि अंतरिम संवितरण चरण पर परियोजनाओं की पुनःव्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी। कुछ उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए अर्थात् मैसर्स श्रीसूर्याचंद्र सिनर्जेटिक प्रा. लिमिटेड के मामले में चार अंतरिम संवितरण किए गए और तीसरे अंतरिम संवितरण के बाद, परियोजना की पुनःव्यवस्था को स्वीकृति दी गई। मैसर्स पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड के मामले में, दो अंतरिम संवितरण किए गए थे; मैसर्स जैन फार्म्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड परियोजना के मामले में निरीक्षण के बिना संवितरण किया गया था। कुछ मामलों में, ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट नहीं बनाया गया था और उधारकर्ताओं द्वारा बार-बार चूक करने की स्थिति में भी अतिरिक्त प्रतिभूति नहीं ली गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा जैसा बताया गया है उसके अतिरिक्त, गारंटीकर्ता की संपत्ति का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए भी कोई पर्याप्त तंत्र नहीं था।

उपरोक्त के अलावा, समिति ने मंत्रालय/इरेडा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता लगाया है कि ऋण स्वीकृत होने के बाद, कई परियोजनाएं त्याग दी जा रही हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, इरेडा द्वारा स्वीकृत 61 परियोजनाओं में से केवल 20 परियोजनाओं को चालू किया जा सका और 18 परियोजनाओं को छोड़ दिया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान परित्यक्त परियोजनाओं के संबंध में कुछ सुधार हुआ जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि केवल 7 परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था। चालू होने वाली परियोजनाओं के संबंध में, 108 स्वीकृत परियोजनाओं के मुकाबले स्थिति खराब हो गई और केवल 34 चालू हुई थीं। समिति ने पूर्वकथित परिदृश्य से यह निष्कर्ष निकाला है कि ऋण स्वीकृत करने में इरेडा का संपूर्ण दृष्टिकोण कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण है।

स्थिति को सुधारने के लिए, इरेडा ने कहा है कि उसने कुछ उपाय किए गए हैं अर्थात् क्रियान्वन के तहत परियोजनाओं के लिए अगले संवितरण से लंबित बकाए का समायोजन और व्यक्तिगत गारंटी की मांग, जिसके लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। समिति का मानना है कि असफल परियोजना हेतु ऋण की वसूली करने के लिए ये कदम अंतिम उपाय हैं। जिन परियोजनाओं

के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उनकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना है, इरेडा की तरफ से यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मानदंडों में छूट की प्रणाली के अलावा, समीक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए, समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि ओटीएस जैसे उपायों का उपयोग संयम से किया जाना जरुरी है और जानबूझकर चूक करने वालों के यह उपाय बिल्कुल उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इरेडा को, एक वित्तीय संस्थान होने के नाते, वित्तीय विवेक के मानदंड का अनुपालन करना चाहिए और पुनर्भुगतान के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए ताकि इससे पहले कि ऋण एनपीए में जाए उसकी वसूली की जा सके।

सरकार का उत्तर

अनुमोदित ओटीएस नीति के अनुसार लेखापरीक्षा के अवलोकन के तहत अवधि के दौरान, 29 मामलों में ओटीएस के माध्यम से वसूली को प्रभावित किया गया था। निपटान देय राशि पर पहुंचने के दौरान परियोजना की स्थिति, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर विचार किया गया है अर्थात् सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त परियोजना परिसंपत्तियां/जमानत प्रतिभूतियों और ऋण के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से विधिवत रूप से प्रमाणित व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटीकर्ताओं की निवल संपत्ति पर विचार किया गया। ओटीएस कू स्वीकृति वाले मामलों में देय राशि, ओटीएस के माध्यम से वसूली राशि, इन 29 मामलों के लिए छोड़ दी गई राशि की सारांश स्थिति निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**कुल देयराशि**	**वसूली राशि**	**छोड़ दी गई राशि**
मूलधन	18,117.22	17,316.64	800.58
देय ब्याज	22,239.55	3,533.57	18,705.98
तरलीकृत हरजाने एवं आकस्मिक शुल्क	4,313.60	34.66	4,278.94
कुल	44,670.37	20,884.87	23,785.5

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि इरेडा ने बकाया मूलधन का अधिकांश भाग वसूल कर लिया है और मूलधन पर केवल 800.58 करोड़ रुपए छोड़ दिए हैं, जो केवल 4.41% है। मूलधन को छोड़ना, मुख्य रूप से ब्रिकेटन सेक्टर और अपशिष्ट से ऊर्जा सेक्टर के मामले में था, जहां तकनीकी मुद्दों के कारण परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

भौतिक निरीक्षण आयोजित करने, अंतरिम ऋण जारी करने के अवलोकन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि प्रणाली और प्रक्रिया को मजबूत किया गया है और वित्त पोषण के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना के लिए ऋण की पूर्व और पश्च स्वीकृति पर और परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भी भौतिक निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं। आम तौर पर ऋणदाता के इंजीनियर, साइट पर भौतिक प्रगति की निगरानी करने में कार्यरत रहते हैं और केवल उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही परियोजना स्वीकृति में संवितरण किया जाता है। अंतरिम संवितरण की नीति में संशोधन किया गया है और जब तक बैंक गारंटी प्राप्त नहीं होती है तब तक रेहन सृजन से पहले, कोई अंतरिम संवितरण नहीं किया जाता है। ट्रस्ट और

रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की निगरानी के संबंध में, रिकवरी टीम को मजबूत किया गया है और वह अब बारीकी से टीआरए खातों की निगरानी कर रही है।

छोड़ी गई परियोजनाएं दर्शाती हैं कि परियोजनाओं को या तो इरेडा द्वारा वित्तपोषित नहीं किया गया था या विकासकर्ता द्वारा उनको छोड़ दिया गया था। इसके कई कारण जो नीति, विनियमन, भूमि अधिग्रहण, निकासी आदि से संबंधित हो सकते हैं। जब परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है, तो पूर्व-निष्पादन, पूर्व संवितरण और प्रतिभूति के अनुपालन के लिए शर्तें लगाई जाती हैं। यदि परियोजना इन शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है तो परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी। ऋणदाता के रूप में, यदि इनमें से कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो संवितरण लेने के लिए किसी विकासकर्ता पर दबाव डालना या परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु जोर देना, हमारी ओर से यह विवेकपूर्ण नहीं है।

मूल्यांकन प्रक्रिया को ऋण की स्वीकृति के लिए मजबूत किया गया है। परियोजना ऋण आवेदन की सम्यक तत्परता का निष्पादन सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, सीएआरई, इंडिया रेटिंग और ब्रिकवर्क जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रमोटर/गारंटर की सीआईबीआईएल स्थिति, परियोजना की बाहरी रेटिंग की समीक्षा करके किया जाता है। आंतरिक क्रेडिट रेटिंग भी निष्पादित की जाती है। परियोजना की रेटिंग के आकलन के आधार पर, ब्याज दर और प्रतिभूति मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिया जाता है। वित्तपोषण दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, यह निर्णय लिया गया है कि लघु पनबिजली और सह-उत्पादन क्षेत्र के लिए, जो प्रकृति में अधिक जोखिम भरे माने जाते हैं, परियोजना लागत का 50% से अधिक का वित्तपोषण ना करें। जैवभार क्षेत्र को 5 से अधिक वर्षों के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया जा रहा है क्योंकि जैवभार क्षेत्र में परियोजनाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं।

समिति की अनुशंसा जोकि ओटीएस का संयम से उपयोग किया जाना जरूरी है, के संबंध में है, उसको मार्गदर्शन के लिए चिन्हित किया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि इसका उपयोग संयम से ही किया जाएगा। इरेडा, गैर-प्रदर्शनकारी परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एनसीएलटी से संपर्क करेगा/डीआरटी के समक्ष फाइल रिकवरी कार्यवाही/एसएआरएफ़ईएएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 340-16/1/2018-इरेडा तिथि: 26.11.2018)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं. 10 देखे)

सिफारिश (क्रम सं.6)

<u>ऋणों को बट्टे खाते डालने का मुद्दा</u>

इरेडा द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, समिति ने ध्यान दिया है कि वर्ष 2001-02 **के बाद से, कंपनी ने अशोध्य ऋणों की एक बड़ी राशि को बट्टे खाते डाल दिया है। उदाहरण के लिए, वर्ष**

2003-04 **में, चुकता न होने वाले ऋणों की** 12.25 **करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते डाल दिया गया था।** 2009-10 **और** 2011-12 **के वर्षों में यह राशि क्रमशः** 16.13 **करोड़ रुपए और** 23.86 **करोड़ रुपए और** 2013-14 **और** 2014-15 **के वर्षों में क्रमशः** 95.27 **करोड़ रुपए और** 40.56 **करोड़ रुपए थी। कंपनी ने कहा है कि इन ऋणों को खातों से तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया था क्योंकि उन्हें नुकसान की संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए पिछले वर्षों में** 100% **प्रावधान किया गया था। हालाँकि, डीआरटी / एसएआरएफएईएसआई में इस तरह के तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली के प्रयास जारी हैं। इन ऋणों के संदर्भ में जब और जितनी राशि वसूल की जाएगी, उस वसूली गई राशि को लाभ व हानि विवरणी में दर्शाया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये परियोजनाएं संचालन में नहीं थीं और सुरक्षा का मूल्य कम हो रहा था, इसलिए आयकर अधिनियम,** 1961 **के अनुसार आयकर का लाभ प्राप्त करने के लिए इन्हें तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि के रूप में चिह्नित गया था। समिति ने ध्यान दिया है कि जिन ऋणों को तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने पर विचार किया गया था, उन्हें पहले से ही एनपीए (लॉस एसेट्स) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**

प्रमोटरों/निदेशकों और गारंटियों के नाम सीआईबीआईएल वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं ताकि इन खातों की चूक की स्थिति को सभी वित्तीय संस्थाओं /बैंकों को ध्यान में लाया जा सके और आगे किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इन ऋण लेने वालों को कोई और ऋण नहीं दिया जाता है। समिति व्यथित है कि इरेडा भारी मात्रा में ऋण को बट्टे खाते में डाल रही है और इस प्रक्रिया के अपारदर्शी होने के कारण, इससे गलत कार्यों की संभावना हो सकती है। अतः समिति को लगता है कि तकनीकी बट्टे खाते डालना अपारदर्शिता बनाता है और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रणाली को नष्ट कर देता है, अतः इसमे सावधानी बरती जानी चाहिए। समिति को आशा है कि कंपनी में ऋण को बट्टे खाते डालना एक नियमित प्रक्रिया नहीं बनानी चाहिए और डिफॉल्टरों और विशेष रूप से ब्लैकलिस्ट किए गये डिफॉल्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वे आगे किसी भी वित्तपोषण एजेंसी से ऋण का लाभ न उठा सकें। इस संबंध में समिति इस बात से अवगत कराना चाहेगी कि तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए ऋणों से अब तक की गई वसूली को वर्ष-वार दर्ज किया जाए, ताकि ऋणों को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने के प्रभाव का एक आकलन किया जा सके।

सरकार का उत्तर

ऋण को तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना बंद करने की समिति की सिफारिश का मार्गदर्शन के लिए संज्ञान लिया जाता है।

समिति को सूचित किया गया है कि भुगतान में चूक करने वाले ऋणियों के विरुद्ध विभिन्न वसूली अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है जैसेकि ऋणों को वापस लिया गया, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई/ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष वसूली की कार्यवाही दायर की गई, डिसऑनर्ड चेक (ऋण की मंजूरी के समय सुरक्षा के लिए जमा कराये गये पोस्ट डेटेड चेक) के संबंध में चूककर्ता ऋण लेने वालों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धरा 138 के अधीन आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके अलावा, ऋणियों के खाते की डिफ़ॉल्ट स्थिति सीआईबीआईएल पोर्टल पर सूचित की जाती है, जिसे आमतौर पर सभी ऋणदाता संस्थानों/बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले के लिए किसी भी ऋण की मंजूरी पर विचार करने से पहले संदर्भित किया जाता है। एनसीएलटी अधिनियम के संवर्धन के साथ, एनसीएलटी में उन ऋणियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए, जो चल रहे हैं।

समिति को यह भी सूचित किया जाता है कि इरेडा पहले ही 2015-16 के बाद से तकनीकी रूप से ऋणियों के खाते से ऋण को बट्टे खाते में डालना की प्रथा को समाप्त कर चुकी है।

समिति द्वारा यथा-वांछित, वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक बट्टे खाते डाले ऋण में से की गई वसूली की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	**वसूल की गई राशि (करोड़ में)**
2008-09	**12.24**
2009-10	**10.08**
2010-11	**16.41**
2011-12	**8.58**
2012-13	**3.90**
2013-14	**2.75**
2014-15	**4.07**
2015-16	**4.47**
2016-17	**3.15**
2017-18	**6.10**
कुल	**71.75**

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 7)

<u>एनपीए का मुद्दा</u>

लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2008-09 में कुल बकाया ऋणों में इरेडा का सकल एनपीए 13.34 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011-12 के आलावा, जिसमें यह मामूली रूप से बढ़कर 5.46 प्रतिशत हो गया था, बाद में घटते हुए रुझान को दर्शाता है और 2012-13 में यह घटकर 3.86 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा, मंत्रालय/इरेडा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सकल एनपीए 30.09.2015 को 471.60 करोड़ रुपए और 30.09.2016 को सकल एनपीए 554.67 करोड़ रुपए था। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि मार्च 2013 से मार्च 2015 तक एनपीए में कमी का मुख्य कारण एनपीए मामलों का एकमुश्त समझौता (ओटीएस), संपत्तियों पर अद्यतन और खातों से ऋण की बकाया राशि को बट्टे खाते डालना था।

समिति ने रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में प्रतिबंधों और संवितरण के बीच ओटीएस, बट्टे खाते डालना और अंतर से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है। लेखापरीक्षा के दृढ़ अवलोकन पर ध्यान देते हुए, एनपीए में कमी का कारण ओटीएस और बकाया ऋणों को बट्टे खाते डालना है, समिति चाहेगी कि इरेडा विशेष रूप से ओटीएस, संपत्तियों पर अद्यतन और खातों से ऋण की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने को छोड़कर एनपीए में कमी के आंकड़े प्रस्तुत करे। समिति का दृढ़ विचार है कि ओटीएस/बट्टे खाते में डालने का काम कंपनी की छवि को बेहतर बनाने के लिए खाते के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसमें संयम से काम लिया जाना चाहिए। वसूली की स्थिति में सुधार करने और कंपनी के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए पहल करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए, इरेडा को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और मजबूत करना चाहिए और अपने एनपीए के स्तर को कम करने के लिए बकाया ऋणों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

मार्गदर्शन के लिए समिति की टिप्पणियों का संज्ञान लिया गया है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वसूली को सुदृढ़ करने के लिए, इरेडा ने जीएम स्तर के अधिकारी की अगुवाई में एक अलग वसूली प्रकोष्ठ बनाया है। यह प्रकोष्ठ लगातार सभी ऋणों की निगरानी कर रहा है और भविष्य के एनपीए ऋणों से बचने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करता है। समिति द्वारा वांछित, एनपीए ओटीएस /बट्टे खाते में डाली गई रकम/परिसंपत्तियों के अद्यतन को छोड़कर निम्नानुसार हैं: -

क. ओटीएस/बट्टे खाते डाली गई रकम/परिसंपत्तियों के अद्यतन सहित। वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए, क्योंकि अवलोकन में इसी अवधि की लेखापरीक्षा को शामिल किया गया था।

(राशि करोड़ में)

विवरण	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
सकल एनपीए	254.80	341.55	475.85
*** सकल एनपीए %**	3.86%	4.18%	5.34%

* कुल ऋणों के सकल एनपीए का % इंगित करता है

ख. ओटीएस/ बट्टे खाते डाली/परिसंपत्तियों के उन्नयन को छोड़कर

विवरण	**12-13**	**13-14**	**14-15**
सकल एनपीए	265.46	437.01	516.42
*** सकल एनपीए %**	4.02%	5.28%	5.77%

समिति को यह सूचित करना है कि इरेडा ने 2015-16 के बाद किसी भी ऋण को बट्टे खाते नहीं डाला है। आंतरिक लेखापरीक्षा और निदेशकमंडल द्वारा नियमित रूप से एनपीए की निगरानी के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 9)

<u>अनुदान योजनाओं में विसंगतियां</u>

अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा ने कई अनियमितताओं को इंगित किया है, जैसेकि अनुदान के अयोग्य सब्सिडी की वसूली नहीं करने वाले वाले उधारकर्ताओं को सब्सिडी जारी रखना, और परियोजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की अनुपस्थिति। कंपनी ने कहा है कि मंत्रालय के ऐसे अधिकांश कार्यक्रमों में, जिनमें सब्सिडी प्रदान की जा रही है, प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की निगरानी के लिए एक अंतर्निर्मित तंत्र है और इसलिए, उपयोगकर्ताओं की पात्रता को प्रमाणित करना तीसरे पक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी का उत्तरदायित्व है। निगरानी प्रणाली में सुधार के लिए मंत्रालय नियमित आधार पर राज्य नोडल एजेंसियों को निर्देश देता है। लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया था कि कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए, मेसर्स पूर्ति सखार लिमिटेड और मेसर्स इंडबरथ एनर्जीज़ लिमिटेड की परियोजनाओं को 100 से अधिक कोयला आधारित परिचालन नें बदलने के बावजूद उनसे सब्सिडी की राशि वापस नहीं ली गई, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केवल 25 प्रतिशत बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। समिति ने यह भी देखा कि भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भी सब्सिडी वापस नहीं ली गई। अपने रुख को प्रमाणित करने के लिए, इरेडा ने सब्सिडी योजना में निर्धारित 25% की स्वीकार्य सीमा के विरुद्ध 100% कोयला आधारित परिचालन पर बदलाव करने को सही ठहराने के लिए कई राज्यों के आदेशों का हवाला दिया है। लेकिन, इसके विपरीत, समिति ने पाया कि महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) के आदेश में, नियामक ने स्वीकार किया कि दिनांक 02.09.2002 का ऊर्जा खरीद समझौता (ईपीए) केवल तभी काम करेगा जब कोजेन्टर पावर प्लांट गैर-जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है और यदि गैर-जीवाश्म ईंधन उपलब्ध नहीं है, तो ईपीए उपलब्ध होने तक 240 दिन/वर्ष तक के लिए निलंबित रहेगा या काम करना बंद रहेगा। हालाँकि, बाद में राज्य में बिजली की कमी के कारण, एमईआरसी ने इसे चलने दिया।

समिति को प्रतीत होता है कि सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कमी को रोक दिया गया क्योंकि अक्षय स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए सब्सिडी का उद्देश्य पराजित हो गया और जब संयंत्र जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया गया तो इरेडा ने उधारकर्ताओं से सब्सिडी की वसूली नहीं की। इसी तरह मेसर्स इंडबरथ एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स जीके बायो एनर्जी लिमिटेड और मेसर्स भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के बावजूद इरेडा द्वारा सब्सिडी वापस नहीं ली गई थी। यहां तक कि कुछ मामलों में इरेडा ने एमएनआरई से इस आधार पर सब्सिडी वापस न लेने का अनुरोध किया कि परियोजना को चालू कर दिया गया है। हालाँकि, समिति का विचार है कि कंपनी के इस प्रकार के कार्य सब्सिडी योजना के उद्देश्य को ही समाप्त कर देते हैं।

वे लेखापरीक्षा के अवलोकन से सहमत हैं कि इरेडा को सरकारी सब्सिडी के बदले आरई परियोजना के माध्यम से बिजली उत्पादन प्रारंभ के बाद परियोजना की निरंतरता की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन सभी मामलों में सब्सिडी

वापस ली जानी चाहिए जहां परियोजनाएं निर्दिष्ट अवधि के लिए चालू नहीं रहती हैं क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कम करती है। समिति को लगता है कि इरेडा / एमएनआरई द्वारा इस संबंध में तत्काल नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और समिति ने तदनुसार अवगत कराया है।

सरकार का उत्तर

ब्याज सब्सिडी योजना अस्तित्व में नहीं है और पूंजीगत सब्सिडी केवल एमएनआरई द्वारा लघु हाइड्रो और कोजेनरेशन सेक्टर में स्वीकृत और जारी की जाती है। उक्त पूंजीगत सब्सिडी परियोजना के चालू होने पर ही जारी की जाती है। परियोजना के लिए प्राप्त किये गये ऋण से पूंजीगत सब्सिडी की राशि कम हो जाती है।

यदि परियोजना को छोड़ दिया जाता है और उसे चालू नहीं किया जाता है, तो योजना के अनुसार ब्याज सब्सिडी को वापस लिया जा सकता है। हालाँकि, यदि परियोजना पूरी तरह से चालू है और परिचालन में है, तो ब्याज सब्सिडी राशि वापस नहीं ली जाती है। इसी तरह, पूंजीगत सब्सिडी के मामले में, जिसे आमतौर पर वित्तीय साधनों का हिस्सा माना जाता है, उसे परियोजना को चालू करने पर वापस नहीं लिया जाता है। एमएनआरई द्वारा मैसर्स एचसीएल एग्रो लिमिटेड के पत्र क्रमांक 6/1/94-सीपीजी दिनांक 27.09.2004 के मामले में यह निर्णय लिया गया। (प्रतिलिपि अनुलग्नक- VI में संलग्न है)

तदनुसार, मेसर्स पूर्ति साखर कारखाना लिमिटेड को ब्याज अनुदान सितंबर -2009 को समाप्त तिमाही तक पारित किया गया था, जिसकी अवधि ऋण लेने वाले द्वारा तय की गई थी। ऋण राशि की शेष अवधि के लिए अप्रयुक्त सब्सिडी राशि एमएनआरई को वापस कर दी गई थी।

मेसर्स इंडबरथ एनर्जीज लिमिटेड के मामले में, एमएनआरई की सलाह के अनुसार इरेडा द्वारा ब्याज सब्सिडी वापस ले ली गई थी क्योंकि परियोजना के कोयले पर चलने की सूचना मिली थी। ऋण लेने वाले ने ब्याज सब्सिडी राशि को वापस लेने के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मामला अभी भी लंबित है।

मेसर्स जी के बायो एनर्जी के मामले में, एमएनआरई द्वारा वित्त के साधन के रूप में पूंजी सब्सिडी को मंजूरी दी गई थी और परियोजना को अगस्त -2005 में चालू किया गया था। इसलिए, पूंजीगत सब्सिडी को वापस नहीं लिया गया।

भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ऋण लेने वाले को इरेडा के भुगतान के आधार पर ब्याज सब्सिडी पारित की गई थी। एमएनआरई द्वारा शेष ब्याज सब्सिडी को पूंजीगत सब्सिडी में परिवर्तित किया गया था इसलिए, बकाया ऋण को पूंजीगत सब्सिडी राशि में से घटा दिया गया था।

हालाँकि, उल्लंघन के मामले में सब्सिडी वापस लेने के लिए समिति का अवलोकन मार्गदर्शन के लिए माना जाता है और नई योजनाओं के प्रारूपण में इसका ध्यान रखा जाएगा।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

<u>स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और सतर्कता</u>

समिति को सूचित किया गया है कि इरेडा के अधिकारी, परियोजना के अनुमोदन से पहले, उसके कार्यान्वयन के दौरान और परियोजना के चालू होने के बाद भी परियोजना स्थल पर जाते हैं। बाद में भुगतान में चूक, संयंत्र के अप्रसार आदि की स्थिति में भी परियोजना का दौरा किया जाता है। इरेडा ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए ऋणी इंजीनियर (एलई) की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। कथित तौर पर परियोजना के आरंभ होने के 1- 2 वर्ष के बाद के लिए भी एलई की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है जिसे आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय के निगरानी तंत्र के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रालय ने विभिन्न आरईआर परियोजनाओं के अंतर्गत ऋणों के अनुमोदन के लिए वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इरेडा के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित दो निदेशकों को नियुक्त किया है। इसके अलावा, डीपीई द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा निष्पादन की निगरानी की गई है और उनकी समझौता ज्ञापन मूल्यांकन बैठकों में समझौता ज्ञापन में निर्धारित विभिन्न मापदंडों पर कंपनी के निष्पादन के अनुसार इसका मूल्यांकन किया गया है, और साथ ही एमएनआरई के सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के साथ परियोजनाओं के वित्तपोषण में इरेडा द्वारा अपनाई गई नीतियों/प्रक्रियाओं पर इरेडा के निष्पादन की भी समीक्षा की गई है। हालाँकि, मंत्रालय की निगरानी के बावजूद, इरेडा द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में सी एवं एजी द्वारा विसंगतियां पाई गई हैं। इसलिए, समिति का विचार है कि इस तरह की विसंगतियों को रोकने के लिए, इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता में सुधार करने, वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ऋणी की वित्तीय स्थिति की निगरानी करने के अलावा किसी भी विचलन पर नज़र रखने के साथ ही डेवलपर्स और कंपनी द्वारा किसी भी अन्य अनुपालन न करने को हतोत्साहित करने के लिए हर परियोजना के लिए एलई नियुक्त करने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

भविष्य के मार्गदर्शन के लिए माननीय समिति के अवलोकन/सुझाव का संज्ञान लिया गया है। हालाँकि, यह सूचित किया जाता है कि ऋणदाता अभियंता और समवर्ती लेखापरीक्षक की नियुक्ति के अलावा, इरेडा में एक अलग वसूली प्रकोष्ठ बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ परियोजना के संचालन, ऋण लेने वाले की वित्तीय स्थिति पर नियमित आधार पर निगरानी रखता है, यह नियमित रूप से परियोजना के राजस्व और उपयोग पर नज़र रखने के लिए ऋण लेने वाले के ट्रस्ट और रिटेंशन खाते की भी निगरानी करता है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 11)

<u>जनशक्ति आवश्यकताएँ</u>

समिति ने ध्यान दिया कि, कुल स्वीकृत जनशक्ति (कार्यकारी और गैर-कार्यकारी) 213 में से, कंपनी की वास्तविक जनशक्ति केवल 152 है। कंपनी ने बताया कि जनशक्ति को बढ़ाने का सुझाव देने वाले एएससीआई के अध्ययन के आधार पर, निदेशक मंडल ने 215 की जनशक्ति की मंजूरी दी है और यह मार्च, 2017 के अंत में 170 तक पहुंच जाएगी। हालाँकि कंपनी की अगले पाँच वर्षों में संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2012-13 में लेखापरीक्षा की आपत्तियों के बावजूद, कंपनी को अपना कार्यबल बढ़ाने में चार वर्ष लगे। समिति ने आगे ध्यान दिया है कि डीपीई के निर्देशों के बावजूद इरेडा के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है और एनआरई मंत्रालय अभी भी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, समिति ने अनुमान लगाया कि इरेडा में जनशक्ति की कमी से कंपनी की दक्षता और संचालन में बाधा आ सकती है। इसलिए, समिति की इच्छा है कि एमएनआरई / इरेडा को तत्काल खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि इसका निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

सरकार का उत्तर

अनुपालन के लिए समिति के सुझाव/अवलोकन का संज्ञान लिया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि 31.03.2018 को कर्मचारियों की संख्या 149 थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, हमने तकनीकी, वित्त और विधिक विभागों में 17 कार्यकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती की है। हमने अनुबंध के आधार पर 3 इंजीनियरों की भी भर्ती की है और इसलिए इरेडा स्वीकृत संख्या तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वर्ष समान संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करेगा।

समिति को सूचित किया गया है कि एमएनआरई ने अप्रैल 2018 में 3 स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किया है।

स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अब 5 तक पहुंच गई है अर्थात सेबी के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित संख्या बोर्ड की कुल शक्ति का 50% है। निदेशक मंडल की कुल संख्या 10 में सीएमडी सहित 3 कार्यात्मक निदेशक शामिल, 2 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 5 स्वतंत्र निदेशक हैं।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 12)

<u>इरेडा का इक्विटी आधार बढ़ाना</u>

समिति ने ध्यान दिया कि कंपनी की पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 2014-15 **में इरेडा की अधिकृत शेयर पूंजी को** 6000 **करोड़ तक बढ़ाया गया था। वर्तमान में इरेडा की चुकता पूंजी** 784.60 **करोड़ रुपये है। मिनी रत्न की स्थिति के कारण, इरेडा अब आगे भारत सरकार द्वारा किसी भी इक्विटी इनफ्युजन के लिए पात्र नहीं है। इरेडा का संचालन अर्थात् ऋण देने के साथ-साथ संसाधन जुटाना अब इसके निवल मूल्य पर निर्भर करता है। समिति को आगे सूचित किया गया है**

कि 2022 तक 175 गीगावॉट तक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए भारत सरकार के बढ़े हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इरेडा ने भी अगले पांच वर्षों के लिए अपनी व्यावसायिक योजना तैयार की है जिसमें 15 प्रतिशत तक बाजार हिस्सेदारी है। इसके अलावा, इरेडा को आईपीओ के माध्यम से अपनी आवश्यक इक्विटी पूंजी को 1250 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की आशा थी। कंपनी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अधिकृत शेयर पूंजी में 1000 करोड़ रुपये से 6000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि केवल एक सक्षम प्रावधान है, इसका पूरा लाभ तभी प्राप्त हो सकता है अगर पूंजी को उस सीमा तक बढ़ाया जाता है।

जैसा कि सचिव ने बयान के दौरान कहा था कि 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने के लिए पांच से छह लाख करोड़ रुपए के वित्तपोषण की आवश्यकता है। अब तक, बैंकों ने 1,38,220 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है और 63,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। समिति यह देखकर निराश है कि सचिव, एमएनआरई के अनुसार इसमें इरेडा का हिस्सा बहुत कम था। समिति ने जोर दिया कि इरेडा आरई परियोजना को पुनर्वित्त करने के लिए मुख्य सरकारी एजेंसी है, इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी जिसके लिए इरेडा को तीव्र पूंजीकरण की आवश्यकता है, विशेषकर जब सरकार ने 2022 तक आरई लक्ष्य 175 गीगावाट तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति चाहेगी कि इरेडा, कंपनी द्वारा अनुमानित आईपीओ के माध्यम से बाजार से संसाधन जुटाए, जो इसे अपने वास्तविक मूल्य को उन्मोचित करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी दृश्यता बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। समिति को आशा है कि सरकार/एमएनआरई इरेडा को तीव्रता से पूंजी बढ़ाने में मदद करेगी क्योंकि आरईईडी क्षेत्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को बढ़ाने के लिए इरेडा को पुनर्वित्त देने में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

सरकार का उत्तर

इरेडा ने अपने आईपीओ के लिए 139 करोड़ रुपए अर्थात् 10 रु प्रत्येक के 13.90 करोड़ शेयर के लिए मंजूरी प्राप्त की है। आईपीओ के बाद 85% शेयर भारत सरकार के पास रहेगा और 15% सार्वजनिक होगा। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) 22.12.2017 को दायर किया गया है और 16.02.2018 को सेबी की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। इरेडा अपने आईपीओ को एनबीएफसी/बैंकों या अनुकूल बाजार भावना के लिए बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करेगा।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 13)

<u>अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और निष्पादन</u>

समिति यह जानकर निराश है कि देश आरई क्षेत्र में आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है क्योंकि स्वदेशी तकनीक बहुत आगे नहीं बढ़ी है। साक्ष्यों के दौरान, मंत्रालय/इरेडा प्रतिनिधियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि 85 प्रतिशत सौर पैनल अभी भी चीन से आयात किए जा रहे हैं क्योंकि वे सस्ते और तकनीकी रूप से उन्नत हैं।

जहाँ तक एमएनआरई द्वारा आरई सेक्टर में अब तक अनुसंधान और विकास में किए गए प्रयासों का संबंध है, समिति का मानना है कि अनुसंधान और विकास और विभिन्न आर एंड डी/ शैक्षणिक संस्थानों/उद्योग के क्षेत्र में हाइड्रोजन और ईंधन सेल द्वारा सौर तापीय, एसपीवी, बायोगैस, पवन, जैव ईंधन; और 12 वीं योजना अवधि के दौरान एमएनआरई संस्थानों, अर्थात्, एनआईएसई और एनआईडब्ल्यूई के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के समर्थन के रूप में 584 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, एमएनआरई में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा के लिए तीन समर्पित संस्थान हैं, जो अनुसंधान निष्पादन, मानकीकरण और परीक्षण केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें छोटे हाइड्रो पावर के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए आईआईटी रुड़की में वैकल्पिक हाइड्रो ऊर्जा केंद्र भी शामिल है।

समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि मंत्रालय ने 24 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता प्रदान करके सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार, ऊष्मायन और उद्यमिता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने का भी समर्थन किया है। सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद ने इस अनुदान के माध्यम से सतत ऊर्जा के लिए भारतीय कोष बनाया है ताकि उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने और समर्थन देने के साथ-साथ नवीन विचारों की शुरुआत की जा सके।

समिति का दृढ़ विश्वास है कि देश में, आरई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता है, जिसके लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे आईआईटी जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों के माध्यम से आरई क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए, समिति का विचार है कि इरेडा/मंत्रालय को मिशन मोड में काम करना चाहिए ताकि विशेष रूप से आरई सेक्टर में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया जा सके और छोटी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाए ताकि तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के अलावा आरई सेक्टर में विभिन्न नीतिगत निर्णयों के माध्यम से स्वदेशी उत्पाद उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। सुझाव के अनुसार ठोस पहल की जा सकती है और समिति को इसके अनुसार अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) प्रौद्योगिकी विकास और निष्पादन के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों आदि के माध्यम से सौर, पवन, बायोगैस, हाइड्रोजन, ईंधन कोशिकाओं, भूतापीय, आदि के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास का समर्थन करता रहा है, जो व्यावसायीकरण के लिए अग्रणी है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान, विकास और निष्पादन (आरडी एंड डी) के लिए एक व्यापक नीति और दिशानिर्देश लागू हैं। बारहवीं योजना अवधि में, विभिन्न अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों को 523.43 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लघु हाइड्रो, हाइड्रोजन और ईंधन कोशिकाओं के क्षेत्र में कुल 112 आर एंड डी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। एमएनआरई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी परियोजनाओं पर 307.66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सितंबर, 2017 में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा आरडी एंड डी कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी।

एमएनआरई ने 2017-18 से 2019-20 तक की मौजूदा तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार कार्यक्रम के लिए अपने आरडी एंड डी प्रयास को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अनुप्रयोग उन्मुख नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए अनुसंधान और विकास के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीयता आश्वासन के लिए परीक्षण और मानकीकरण के साथ एकीकृत है। एक प्रौद्योगिकी विकास और

नवाचार नीति (टीडीआईपी) को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी विकास और निष्पादन, परीक्षण और मानकीकरण, स्टार्ट-अप के साथ जुड़े नवाचार के लिए पुरस्कार, अनुसंधान, नवाचार और सत्यापन के लिए समर्थन के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है।

<u>स्वदेशी सोलर पीवी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं</u>

ख. व्यापक सौर पीवी विनिर्माण नीति

एमएनआरई भारत में सौर पीवी मॉड्यूल, कोशिकाओं, वेफर्स/इनगोट्स और पॉलीसिलिकॉन की विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तावित कर रहा है, जो निम्नलिखित को प्रोत्साहन प्रदान करता है:

- नई क्षमताओं/क्षमता उन्नयन के लिए पूंजीगत सब्सिडी
- मौजूदा और आगामी विनिर्माण इकाई के लिए उत्पादन सब्सिडी
- सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन
- विनिर्माण इकाई को बिजली की आपूर्ति की लागत को कम करने के लिए, बैंकिंग से प्राप्त बिजली के प्रावधान के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति

ख. **सौर पीवी बिजली संयंत्र के लिए पीपीए से जुड़ी सौर पीवी विनिर्माण इकाई**

- एमएनआरई ने भारत में सौर पावर प्लांट के लिए 10 गीगावॉट के पीपीए के रूप में सुनिश्चित ऑफटेक से जुड़े लगभग 3 गीगावॉट के सौर पीवी विनिर्माण क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की है।
- विनिर्माण क्षमता को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें पीपीए के शुल्क के लिए बोली लगाई जाएगी और बोलीदाता को आवंटित की गई क्षमता पूर्णता के आधार पर होगी।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 15)

<u>बायोमास सह उत्पादन</u>

समिति को सूचित किया गया है कि कच्चे माल की कीमत को नियंत्रित करने के लिए विनियामक नीति ढांचे की कमी, बायोमास की कीमत में वृद्धि के साथ शुल्क में वृद्धि न होना, अन्य उद्योगों के पीपीए विकास में प्रवेश करने के बावजूद कुछ मामलों में डिस्कॉम द्वारा टैरिफ का नीचे की तरफ संशोधन और दीर्घकालिक योजना की कमी के साथ अनुभवहीन या पहली बार ऋण लेने वाले, बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएं एनपीए में बदल रहे बायोमास सह-उत्पादन संयंत्रों के लिए इरेडा द्वारा स्वीकृत ऋण के मुख्य कारण हैं।

समिति ने इस बारे में विचार किया है कि बायोमास संचलन के महत्व को देखते हुए, विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनके योगदान और ग्रामीण

क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण रोजगार को ध्यान में रखकर, इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इरेडा/एमएनआरई को राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके, नीतिगत मध्यवर्तन के माध्यम से और मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ एकीकरण कर अधिक से अधिक भूमिका निभानी है ताकि विशेष रूप से जैव-जैव ऊर्जा क्षमता वाले राज्यों में बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की व्यवहार्यता को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में सभी वांछित पहलें की जानी चाहिए और समिति को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मौजूदा बायोमास परियोजनाओं को आवश्यक रियायतें प्रदान करने के माध्यम से उन्हें कार्यात्मक/संचालित बनाने के लिए मदद करने में मार्गदर्शन के लिए समिति के सुझाव/अवलोकन का भविष्य के अनुपालन के लिए संज्ञान लिया गया है।

यह तथ्य है कि डिस्कॉम के कुछ लोग सौर और पवन ऊर्जा की तुलना में शुल्क के अधिक होने के कारण बायोमास पावर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीदने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को बायोमास पावर पर एक नीति बनाने के लिए लिखा है और राज्यों और डिस्कॉम से बायोमास पावर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीदने का भी आग्रह किया है।

मंत्रालय ने हाल ही में चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास सह-उत्पादन का समर्थन करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। नई योजना के अंतर्गत, बायोमास बिजली संयंत्रों को उच्च केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) देने का प्रावधान है। सीएफए की दर को संशोधित किया गया है और सीएफए की अधिकतम राशि पर सीलिंग भी हटा दी गई है।

मंत्रालय बायोमास आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर एक नई योजना लाने की योजना भी बना रहा है, ताकि ब्रिकेट, छर्रों और घेरदार छर्रों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए बायोमास का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जिससे किसानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बायोमास का उपयोग अधिकतम स्तर किया जा सके और वे अतिरिक्त आय प्राप्त करें।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

सिफारिश (क्रम सं. 16)

<u>अन्य मुद्दे</u>

समिति ने लेखापरीक्षा के दौरान इरेडा से संबंधित, विशेष रूप से लेखापरीक्षा अनुच्छेद में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के अलावा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित अन्य मामलों की भी पूरी जांच की। इस संबंध में समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(क) *<u>लोगों को पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए संवेदनशील बनाना</u>*

समिति ने ध्यान दिया है कि इरेडा/एमएनआरई अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण और निकासी के हिस्से के रूप में, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम में शामिल है और एमएनआरई की योजनाओं/कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया जाता है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई स्वीकृत और स्थापित क्षमता पर आंकड़ों के विश्लेषण में यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश,

असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने स्वीकृत क्षमता का 30% से कम हासिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने क्रमशः 5% और 10% क्षमता हासिल की है। केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों ने अपनी स्वीकृत क्षमता से बहुत अधिक क्षमता स्थापित की है। समिति ने इस पर ध्यान दिया है और चिंतित है कि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, दमन और दीव और दादर-नागर हवेली जैसे राज्यों में शून्य स्वीकृत क्षमता है। इस कार्यक्रम में इस तरह के उच्च स्तरीय बदलावों को देख कर समिति को आश्चर्य हुआ है। समिति का विचार है कि सरकार सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है तो उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना अनिवार्य हो गया है। भारत विश्व में प्रति व्यक्ति बिजली के सबसे कम उपभोग करने वाले देशों में से एक है। समिति इस बात से निराश है कि ऊर्जा की कमी और आपूर्ति की उच्च लागत के बावजूद, रूफ-टॉप सौर पीवी सिस्टम अभी तक भारत में व्यापक रूप से नहीं लगे हैं। समिति को लगता है कि मुख्य रूप से अपर्याप्त वित्तपोषण, अपरिचित प्रौद्योगिकी और कम उपभोक्ता जागरूकता की कमी के कारण ऐसा है। समिति ने यह भी ध्यान दिया है कि सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन में जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी की अनुपलब्धता, सब्सिडी के वितरण में लंबी देरी और योजना में निरंतरता नहीं होना जैसी विभिन्न विसंगतियां हैं। इसलिए, रूफ-टॉप सौर कार्यक्रम ने वांछित स्तर हासिल नहीं किया है।

समिति का विचार है कि सरकार की नीति और लागत प्रभावशीलता के आधार पर सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बदलने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक के स्थायी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। समिति ने ध्यान दिया है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व बैंक का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण तंत्र उपलब्ध हैं। इसलिए, समिति की इच्छा है कि सरकार इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाए और इच्छुक निवेशकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें तकनीक से परिचित कराए। यह केवल रूफ-टॉप बाजार के लिए ही एक प्रमुख नवाचार के अनुरूप नहीं होगा, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर कम लागत वाली बिजली की जरूरत को संबोधित करते हुए सौर पीवी के लिए निवेश के माहौल में सुधार करेगा। साथ ही समिति को आशा है कि, यह जनता को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बचाने के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करेगा।

सरकार का उत्तर

एमएनआरई रूफटॉप सोलर (आरटीएस*)* योजना के अंतर्गत आरटीएस संयंत्रों की स्थापना के लिए आवासीय*,* संस्थागत और सामाजिक क्षेत्र के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के लिए एमएनआरई द्वारा अनुमोदित क्षमता के विरुद्ध निश्चित समय सीमा के भीतर लक्षित आरटीएस क्षमता की उपलब्धि पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। यह योजना राज्य नोडल एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल स्पिन के माध्यम से सब्सिडी/प्रोत्साहन के अनुमोदन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं। योजना संचालित है और कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त होना बाकी है। सब्सिडी/प्रोत्साहन श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित सब्सिडी और सब्सिडी/प्रोत्साहन रहित श्रेणी के अंतर्गत राज्य-वार क्षमता पर अद्यतन विवरण अनुलग्नक-VIII की तालिका में दिया गया है। देखा जा सकता है कि कुछ राज्यों में गैर-सब्सिडी वाले क्षेत्र में आरटीएस क्षमता स्थापना की अच्छी प्रगति है। परियोजना की पूर्णता अवधि आमतौर पर मंजूरी की तारीख से 15 से 18 महीने तक भिन्न होती है। एमएनआरई द्वारा प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सब्सिडी/प्रोत्साहन दिया जाता है। देखा गया है कि इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी विलंब होता है।

कई अनुमोदन प्रक्रियाओं की भागीदारी, उच्च टैरिफ भुगतान करने वाले ग्राहकों के बाहर जाने, राज्य के नियमों की अनेकरूपता, कौशल और ज्ञान अंतर, डिस्कॉम द्वारा राजस्व के नुकसान की आशंका जागरूकता की कमी, आदि के कारण आरटीएस संयंत्रों की स्थापना प्रारंभिक चरण के दौरान धीमी थी। मंत्रालय ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल का विकास, सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना, नीतियों और विनियमों में अंतराल को चिन्हित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मैनुअल, कौशल विकास और डिस्कॉम/बैंकों की क्षमता का निर्माण आदि शामिल हैं।

मंत्रालय ने विभिन्न (बहुपक्षीय/द्विपक्षीय) तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों को सहायता प्रदान करके देश में आरटीएस को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और इनमें पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ पाने के लिए पूर्व अनुमोदन के साथ मांग का एकत्रीकरण, एकल खिड़की पोर्टल बनाना, आवेदन प्रक्रिया से लेकर कमीशन/नेट-मीटरिंग इंस्टॉलेशन और सब्सिडी जारी करना, क्षमता निर्माण गतिविधियां, अनुकूल नीतियों और विनियमों का निर्माण, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, डिस्कॉम में आरटीएस सेल बनाना आदि शामिल हैं।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा , दिनांक: 26.11.2018)

(ख) *आवासीय परिसर पर रूफ-टॉप सोलर पैनल की स्थापना*

समिति संज्ञान लेती है कि कई राज्यों की अपनी नीतियां हैं, और आम जनता द्वारा उनके निवासों पर सौर पैनलों की स्थापना इन नीतियों द्वारा संचालित होती है जिनमे अलग-अलग राज्यों में भिन्नता होती है। समिति को अवगत कराया गया है कि सौर पैनल की लागत लगभग 50,000 **रुपये प्रति किलोवाट है और कई निजी बैंक लोगों को इसके लिए ऋण प्रदान करते हैं। हालाँकि, आमतौर पर लोग सोलर रूफ टॉप पैनल के लिए बड़ी रकम खर्च करने में संकोच करते हैं क्योंकि मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लोगों को नहीं दी जाती है। समिति सरकार के आवासीय रूफटॉप कार्यक्रम में एक अच्छा भविष्य देखती है और महसूस करती है कि अधिक से अधिक लोगों के रूफटॉप सौर का उपयोग करने से डिस्कॉम पर दबाव को कम किया जा सकता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार को लोगों में इस कार्यक्रम, बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सुविधा और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।**

सरकार का उत्तर

आरटीएस योजना एसएनए और पीएसयू द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आरटीएस क्षमता की मंजूरी के बाद इन एजेंसियों को *15-18* महीने की समयावधि के भीतर परियोजना को पूरा करना होगा। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सब्सिडी/प्रोत्साहन दिया जाता है। यह देखा गया है कि कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी देरी हुई है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एकल खिड़की पोर्टल बनाया गया है जो आवेदन चरण से लेकर कमीशन/नेट-मीटरिंग इंस्टॉलेशन और सब्सिडी जारी करने तक का ध्यान रखेगा और इस प्रक्रिया को उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

जहाँ तक जागरूकता का संबंध है मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान की योजना बनाई है ताकि जनता में आरटीएस के बारे में जागरूकता की जा सके।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

<u>(ग) सरकारी, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो और रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज आदि पर रूफ टॉप सोलर पैनल का प्रचार।</u>

समिति ने ध्यान दिया है कि बिजली बचाने और भूमि का उपयोग करने के लिए सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। समिति को सूचित किया गया है कि सौर पैनलों का जीवनकाल प्रत्येक 10 वर्षों में 10% की गिरावट के साथ 25 वर्ष का है और सौर पैनल के माध्यम से उत्पादित बिजली लागत प्रभावी है। इसके अलावा, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और सामाजिक क्षेत्र में रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक और एडीबी के माध्यम से बहुपक्षीय वित्तपोषण भी प्रदान किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर फुट-ओवर ब्रिजों को कवर करने के लिए धातु शेड के स्थान पर सौर पैनलों की स्थापना के बारे में, मेट्रो स्टेशन, समिति को सूचित किया गया है कि सरकार सौर पैनलों को स्थापित करने का प्रयास कर सकती है लेकिन इस तरह के डिज़ाइन की दक्षता सौर मॉड्यूल की दक्षता को सीमित कर देगी। पहले से ही छत के रूप में सौर पैनलों के उपयोग के साथ इस मॉडल को कई संगठनों के पार्किंग शेड पर आजमाया जा चुका है। सौर पैनलों की लागत प्रभावशीलता और दीर्घायु पर ध्यान देते हुए, समिति का सुझाव है कि सरकार को रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप सहित औद्योगिक, वाणिज्यिक और सरकारी भवनों की छत पर सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों आदि को भी अपने भवन में सौर पैनलों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रेल और मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग शेड और फुट-ओवर ब्रिज पर पहले से स्थापित सौर पैनलों की दक्षता का आकलन किया जाना चाहिए और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सौर पीवी मॉड्यूल की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले सौर पीवी मॉड्यूल की स्थापना के एमएनआरई दिशानिर्देश आईईसी/बीआईए मानकों की पुष्टि करते हैं।

विभिन्न रेलवे परिसरों, मेट्रो रेल के स्थानों आदि में आरटीएस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नोएडा मेट्रो रेल और लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को पहले ही आरटीएस परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन संगठनों द्वारा लगभग *68* मेगावाट की सकल क्षमता को चालू किया गया है।

एमएनआरई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सरकारी भवनों में आरटीएस परियोजनाओं की स्थापना के लिए लगातार राज्य सरकारों से भी संपर्क कर रहा है। इसके मॉडल भवन उपनियमों में एमओयूडी ने एक निश्चित क्षेत्र से ऊपर की सभी इमारतों पर आरटीएस परियोजनाओं की स्थापना का प्रावधान किया है और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भवन निर्माण नियमों में परिवर्तन करके भवनों पर आरटीएस को अनिवार्य करने के लिए लिखा है। चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) ने उपनियमों/विनियमों को अनिवार्य कर दिया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

(घ) *जल निकायों पर सौर पैनलों की स्थापना*

समिति को सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन (एनएसएम) के अंतर्गत नहर के किनारों और नहर-टॉप्स पर ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत् संयंत्र के विकास के लिए एक 'पायलट-कम-डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट' के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 50 मेगावाट कैनाल-टॉप और 50 मेगावाट कैनाल-बैंक सौर पीवी बिजली परियोजनाओं की पूर्ण लक्षित क्षमता स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इरेडा नहर के किनारों और नहरों में सबसे ऊपर स्थापित सौर परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है जिन्हें कुछ डेवलपर्स द्वारा लागू किया गया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि जानवरों, पक्षियों, पौधों और मनुष्यों द्वारा उपभोग के लिए नहरों पर या पानी पर सौर पैनलों को स्थापित करने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। समिति ने ध्यान दिया है कि यद्यपि भारत में जल निकायों पर सौर पैनल स्थापित करने की अवधारणा नई है, लेकिन तालाबों, झीलों जैसे जल निकायों पर विश्वव्यापी सौर पैनल स्थापित किए गए हैं। समिति का मानना है कि इस अवधारणा से बिजली बचाने में मदद मिलेगी क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में जल निकाय/झीलें/नहरें हैं जिनमें से कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। समिति का सुझाव है कि मंत्रालय और इरेडा को इस परियोजना पर सत्यनिष्ठा से काम करना चाहिए और विभिन्न राज्यों के डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए अपनी वेबसाइट और प्रिंट मीडिया पर व्यापक प्रचार करना चाहिए। हालाँकि, सौर पैनलों को स्थापित करते समय, उन जल निकायों के परिवेश को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं।

सरकार का उत्तर

नहर के किनारों और नहर-शीर्ष पर ग्रिड से जुड़े सौर पीवी बिजली संयंत्रों के विकास के लिए एमएनआरई के 'पायलट-कम-डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट' के अंतर्गत, नहर-शीर्ष नहर के किनारों पर **94** मेगावाट सौर पीवी बिजली परियोजनाओं को चालू किया गया है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, एमएनआरई ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए, निर्देशित किया है।

एसईसीआई ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध पर 150 मेगावाट का तैरता सौर पीवी बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा जारी की है।

इसके अलावा, दिसंबर 2012 में, इरेडा ने उत्तराखंड में मेसर्स सवोग ग्लोबल पावर लिमिटेड की 14.5 मेगावाट की कैनाल बैंक सोलर पीवी पावर परियोजना को मंजूरी दी थी और इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये का संवितरण किया था। इरेडा ने तमिलनाडु में 22 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना को स्थापित करने के लिए भी मंजूरी दी है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा , दिनांक: 26.11.2018)

(ङ) राजमार्गों पर सौर पैनलों की स्थापना

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पथ प्रकाश के लिए सौर-पैनलों के उपयोग के बारे में, समिति ने ध्यान दिया है कि एमएनआरई ने झारखंड के देवगढ़ से बासुकीनाथ मंदिर तक 5 x 100 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 50 किमी पथ का समर्थन किया गया है। सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समान मॉडल का प्रयास करने का प्रस्ताव दिया है। बेहतर रखरखाव और सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत स्थान के साथ प्रति किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत लगभग. 15 लाख रुपये होगी। समिति ने सरकार की पहल की सराहना की क्योंकि देश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के विशाल नेटवर्क को देखते हुए राजमार्गों पर सौर पैनल लंबे समय में प्रभावी साबित होंगे। समिति इस बात पर जोर देती है कि अधिक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर किया जाना चाहिए और इस पर प्रगति पर एनएचएआई और राज्य सरकारों से इस मामले पर और साथ ही एमएनआरई की भविष्य की योजनाओं पर प्राप्त प्रतिक्रिया से अवगत होने की इच्छा जाहिर की है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ऑफ-ग्रिड सोलर पीवी प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश में सौर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है, उत्तर पूर्वी राज्यों और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में जहाँ पथ प्रकाश प्रणाली की कोई सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों पर ग्रिड पावर के माध्यम से विशेष जोर दिया गया है। जहां तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश व्यवस्था का प्रश्न है, इसके लिए मुख्य रूप से ग्रिड पावर के माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं, हालाँकि, एनएचएआई और राज्य प्राधिकरण सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जो सस्ती ऊर्जा भंडारण समाधान की उपलब्धता के साथ भविष्य में अधिक लागत प्रभावी साबित हो सकती है। एमएनआरई इससे संबंधित मानकों और विनिर्देशों को निर्धारित करने के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

(च) विभिन्न राज्यों द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन

समिति ने ध्यान दिया है कि पवन ऊर्जा क्षमता मुख्य रूप से 8 या 9 राज्यों में मौजूद है और इनमें से अधिकांश राज्य अभी तक अपनी पूर्ण पवन क्षमता का दोहन नहीं कर पाए हैं। एमएनआरई ने इनकी ऊर्जा का दोहन करने के लिए पहल की है, लेकिन वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। डेवलपर्स और राज्यों द्वारा पवन ऊर्जा क्षेत्र में लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के कुछ प्रमुख कारकों के रूप में भूमि आबंटन में देरी, विशेष रूप से वन भूमि की मंजूरी प्राप्त करना, सटीक पूर्वानुमान और समय-निर्धारण प्रणाली का विकास न कर पाना, पवन ऊर्जा जनरेटर के भुगतान में देरी, 'सबसे अधिक चलने वाली' स्थिति का अनुपालन नहीं करना, पवन ऊर्जा जनरेटर का टूटना, आदि को उद्धृत किया गया है। समिति ने पाया कि राज्य सरकारों ने डेवलपर्स की समस्याओं से निपटने, विशेष रूप से जमीन के आवंटन और और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की है, जो परियोजनाएं शुरू करने में देर होने का मुख्य कारण हैं।

समिति ने ध्यान दिया है कि सरकार अन्य उपयोगी पहलों के अलावा, अक्षय संसाधन संपन्न राज्यों में 11 स्थानों पर अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसीएस) स्थापित कर रही है। हालाँकि, समिति यह भी जानती है कि अभी तक एक भी आरईएमसीएस स्थापित नहीं किया गया है। समिति ने

आरईएमसीएस की स्थापना में तेजी लाने की सिफारिश की है, जिससे ग्रिड संचालन के साथ निकटता से समन्वय करने के लिए आरई उत्पादन के समाधान और वास्तविक समय निगरानी के लिए उन्नत पूर्वानुमान, प्रेषण में बहुत सहायता मिलेगी। समिति ने, सरकार से भारत में सभी राज्यों में पवन ऊर्जा डेवलपर्स की सभी चिंताओं का ध्यान रखने के लिए जल्द से जल्द एक व्यापक नीति लागू करने की सिफारिश की है। नीति में लागत को कम करने पर ध्यान देने के साथ-साथ पवन परियोजनाओं को स्थापित करने के जोखिम को कम करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

<u>पवन ऊर्जा</u>

मंत्रालय, पवन क्षमता सम्पन्न सभी राज्यों और हितधारकों के परामर्श से पवन ऊर्जा डेवलपर्स की चिंताओं का समाधान करने के लिए नियमित रूप से दिशानिर्देश और नीतियां जारी करता है। इस मंत्रालय ने पवन ऊर्जा क्षेत्र की क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करने और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजना, प्रोटोटाइप, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया तथा मॉडल और निर्माताओं की संशोधित सूची विकसित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य से संबंधित मुद्दों जैसे भुगतान में देरी, अवश्य चलाने कीस्थिति आदि के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों को सलाह जारी करता है।

<u>नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) की स्थिति</u>

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) आरईएमसी को लाग कर रहा है। कल 11 स्थानों अर्थात तमिलनाडु. आंध्र प्रदेश. कर्नाटक. गजरात. महाराष्ट. मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी). दक्षिणी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर (एसआरएलडीसी). पश्चिमी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर (डब्ल्यआरएलडीसी). उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर (एनआरएलडीसी) और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) पर इसकी व्यवस्था की जा रही है।

बजट: 409 करोड़ रुपये: विद्युत् मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

ग्यारह आरईएमसी के लिए 3 पैकेजों में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं: क) दक्षिणी क्षेत्र पैकेज (टीएन. एपी. कर्नाटक. एसआरएलडीसी) ख) पश्चिमी क्षेत्र पैकेज (गजरात. महाराष्ट्र, एमपी, डब्ल्यूआरएलडीसी) ग) उत्तरी क्षेत्र पैकेज (राजस्थान, एनआरएलडीसी, एनएलडीसी)।

आरईएमसी के कार्यान्वयन को अनबंध सौंपने में 15 महीने लगते हैं। सभी निविदाएं सौंप दी गई हैं और आरईएमसी कार्यान्वयन के अधीन हैं।

कमीशनिंग शेड्यूल: आरईएमसी को दिसंबर 2018 से जून 2019 तक आरंभ किया जाना तय किया गया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

(छ) पुरानी पवन इकाइयों की स्थापना से बचना

समिति को इसका संज्ञान लेते हुए प्रसन्नता है कि पवन ऊर्जा इकाइयों के निर्माताओं द्वारा 70 **प्रतिशत स्वदेशीकरण पूरा किया गया है। हालाँकि, समिति को भारत में नई इकाइयों के रूप में पुरानी पवन ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया है, जो पहले अन्य देशों में बंद थीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इरेडा या एमएनआरई के अधिकारियों को इस तरह की स्थापनाओं की जानकारी नहीं है। समिति ने आशंका व्यक्त की कि एमएनआरई और इरेडा के जानकारी के बिना इस तरह की स्थापनाएं हो रही हैं। अब इन बातों को इरेडा/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है, तो यह आशा की जाती है कि ऐसी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सरकार नई पवन इकाइयों के स्वदेशीकरण और स्थापना को बढ़ावा देगी। समिति छोटी टरबाइनों के स्थान पर बड़ी टरबाइनों के प्रतिस्थापन में तेजी लाने की सिफारिश करती है जिससे क्षमता (पवन ऊर्जा की क्षमता) को बढ़ाया जा सके।**

सरकार का उत्तर

पवन टर्बाइन के लिए, स्वदेशीकरण की सीमा लगभग 70-80% है। मंत्रालय में मॉडल और निर्माताओं की संशोधित सूची (आरएलएमएम) तंत्र के माध्यम से पवन टर्बाइन मॉडलों की एक सूची है। आरएलएमएम दिशानिर्देशों के अनुसार, जो पवन टर्बाइन मॉडल आरएलएमएम में सूचीबद्ध हैं, वे केवल देश में ही स्थापित किए जा सकते हैं और केवल उन मॉडलों और निर्माताओं को अनुमति दी जाती है जिनके पास भारत में केंद्र/नासेल विनिर्माण/संयोजन की सुविधा है। सभी राज्यों द्वारा एक ही सूची का अनुसरण किया जा रहा है जो केवल नई पवन टर्बाइनों की स्थापना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, प्रोटोटाइप पवन टर्बाइन मॉडल की स्थापना के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी पुराने घटक की खरीद/भारत में आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इस मंत्रालय को पुराने पवन टर्बाइन की स्थापना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एमएनआरई ने अधिकतम पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए पुराने पवन टरबाइनों को बदलने के लिए रिपॉवरिंग नीति जारी की है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा , दिनांक: 26.11.2018)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं 23 देखिये)

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है।

शून्य

अध्याय - चार

टिप्पणियां/ सिफारिशे जिनके संबंध मे समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने तथा जिन पर टिप्पणियाँ किए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (क्रम सं. 8)

इरेडा की स्थिति- भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों की प्रयोज्यता

लेखापरीक्षा के अनुच्छेद में कहा गया है कि इरेडा द्वारा इसे बुनियादी ढाँचे की वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत करने के आवेदन की जांच करते समय, आरबीआई ने देखा कि यह अनुमेय जोखिम सीमाओं से अधिक था। इसलिए, आरबीआई ने (सितंबर 2010) को इरेडा को समयावधि प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जिसके अंतर्गत इरेडा दिसंबर 2006 के आरबीआई मानदंडों का पालन करेगी। मंत्रालय/इरेडा ने कहा है कि इरेडा ने बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी की स्थिति के लिए आरबीआई से आवेदन नहीं किया है। एक विशिष्ट प्रश्न पर कि क्या इरेडा ने कभी बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप में नामित होने के लिए आवेदन किया था, आरबीआई ने लिखित उत्तर में कहा है कि इरेडा ने अपने पत्र सं. एसीसीटीएस/26/एनबीएफसी/96-97/ इरेडा / **VI** दिनांक 12 मार्च, 2010 के माध्यम से स्वयं को वर्गीकृत करने के लिए आवेदन किया था। समिति यह समझने में असमर्थ है कि मंत्रालय/इरेडा ने सीधे तौर पर आरबीआई को बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में आवेदन करने से कैसे इंकार कर दिया, जबकि उत्तर में लेखापरीक्षा ने इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और आरबीआई ने विशेष रूप से प्रासंगिक पत्र संख्या और तारीख उद्धृत की है। समिति इस संबंध में स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताती है। वह चाहती है कि मंत्रालय/इरेडा स्थिति स्पष्ट करें।

जैसाकि आरबीआई ने कहा है, इरेडा को वर्तमान में एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग-सिस्टमेटिकली महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समिति को अवगत कराया गया है कि एकल उधारकर्ताओं/उधारकर्ताओं के समूह के संबंध में आरबीआई के जोखिम मानदंड इरेडा पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सरकारी एनबीएफसी होने के कारण यह आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करती/रखती है। जैसाकि मंत्रालय/इरेडा ने कहा है, इरेडा के निदेशकमंडल ने एनबीएफसी के लिए जोखिम मानदंड अर्थात एकल ऋण लेने वाले के लिए 15% + 5% निवल मूल्य और समूह उधारकर्ताओं के लिए निवल मूल्य का 25% + 10% स्वीकृत किया है। समिति आगे बताती है कि आरबीआई द्वारा इंगित की गई स्थिति के अनुसार, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सरकारी कंपनियों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को देखते हुए, उनके संबंधित पर्यवेक्षी विभागों/मंत्रालयों द्वारा निर्धारित मानदंड और उन पर दोहरे नियंत्रण और विनियमन से बचने के लिए, उन्हें बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से 13 जनवरी, 2000 और 1 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचनाओं के प्रमुख नियामक प्रावधानों से छूट देने का निर्णय लिया गया था। आरबीआई द्वारा एनबीएफसी को दी गई छूट की भावना की सराहना करते हुए, समिति को लगता है कि इन छूटों का उचित परिश्रम के बाद और उचित औचित्य के साथ संयमपूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। इरेडा के मामले में, लेखापरीक्षा ने बताया है कि चयनित मामलों में निर्धारित क्रेडिट जोखिम सीमा से 29% अधिक था। इतना ही नहीं, इरेडा अपने स्वयं के छूट मानदंडों को पार कर गई है, उदाहरण के लिए, इरेडा ने मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (परियोजना संख्या 1838) के मामले में जोखिम सीमा को 56 प्रतिशत से अधिक कर दिया, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विचलन भी हैं जो चयनित मामलों में 40 प्रतिशत तक हैं। इतना ही नहीं, इरेडा एक निश्चित समय सीमा के बिना लगातार ओटीएस योजना का संचालन कर रही थी, जो भुगतान न करने की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा अपनी रिपोर्ट में सही ढंग से विचार किया गया है। जैसा कि रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में देखा गया था, अंतरिम

संवितरण के बाद की कई परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था, 2015-16 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं का प्रतिशत केवल 31 प्रतिशत था, इस प्रकार सामाजिक दायित्वों को कम पूरा किया गया।

समिति ने पाया कि आरबीआई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के बड़ी बैलेंस शीट और अपने अंतर्संबंध के आधार पर किए जा सकने वाले उच्च प्रणालीगत जोखिम को ध्यान में रखकर और व्यापक वित्तीय प्रणाली के अलावा उनके प्राप्तकर्ता के रूप में वित्तीय बाजारों को बजट से प्रभावित करने की उनकी क्षमता को देखते हुए जमा राशि लेने वाली सभी महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को व्यवस्थित रूप से आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रावधान के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया कर रही है। इरेडा को दी गई छूट के बड़े पैमाने को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में ऊपर विस्तृत रूप से बताया गया है, समिति सरकार, एनबीएफसी और संबंधित मंत्रालय से इस पर विचार-विमर्श के बाद, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जमा स्वीकार न करने वाली-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों को भी इसके अंतर्गत लाने पर विचार करना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

इरेडा की अवसंरचना स्थिति के लिए आरबीआई को आवेदन नहीं करने के संबंध में गलत जानकारी देने के बारे में मंत्रालय और इरेडा गंभीर खेद व्यक्त करते हैं। तथ्य यह है कि हालाँकि, इरेडा ने एक बार इरेडा को अवसंरचना वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण के लिए आरबीआई को संदर्भित किया था, लेकिन इरेडा द्वारा आरबीआई की समय सीमा की आवश्यकता के कारण, जिसके अनुसार इरेडा को आरबीआई के दिसंबर 2006 के मानदंडों का अनुपालन करना था, इरेडा द्वारा इसपर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

नीचे दी गई तालिका में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इरेडा बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/45 दिनांक 09.11.2017। (पृष्ठ संख्या 31 पैरा 22 (1) देखें) में निहित प्रकटन मानदंडों के अनुरूप किस प्रकार प्रकटन मानदंडों को मंजूरी दी है।

तालिका: इरेडा के प्रकटन मानदंड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मानदंड

विवरण	एकल ऋणी	समूह ऋणी
एनबीएफसी के लिए प्रकटन मानदंड	15%	25%
अवसंरचना परियोजनाओं को एनबीएफसी वित्तपोषण के लिए प्रकटन मानदंड (इरेडा द्वारा अंगीकृत)	20% (15%+ 5%)	35% (25% + 10%)
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी के लिए प्रकटन मानदंड	25% (15% + 10%)	40% (25% + 15%)

इरेडा केवल आरई परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है, जो अवसंरचना परियोजनाओं की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, इरेडा बोर्ड ने एकल ऋण लेने वाले के लिए निवल के 20% तक और उधारकर्ताओं के एकल समूह के लिए 35% तक के जोखिम को मंजूरी दी है, जिसे तालिका की दूसरी पंक्ति में संकेतित किया गया है। यदि इरेडा को आरबीआई द्वारा बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया होता, तो इरेडा के जोखिम के नियम क्रमशः ऋण लेने वाले

व्यक्ति और ऋण लेने वाले के समूह (तालिका की पंक्ति 3) के लिए 25% और 40% हो सकते थे। आरबीआई परिपत्र का प्रासंगिक निष्कर्ष अनुलग्नक-V में संलग्न है।

यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली सभी सरकारी एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 13.01.2000 को प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखकर इरेडा द्वारा उपरोक्त मानदंडों का पालन किया जा रहा है। आरबीआई के 31 मई, 2018 के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, आरबीआई द्वारा इन छूटों को वापस ले लिया गया है और अब विशिष्ट क्षेत्र की कंपनियों के क्रेडिट जोखिम से संबंधित मानदंडों को छोड़कर, जिसके लिए आरबीआई को अनुरोध भेजना होगा, इरेडा जैसी सभी सरकारी एनबीएफसी को एनबीएफसी के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना पड़ता है। तदनुसार, 20 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी 307वीं बैठक में इरेडा के बोर्ड ने मंजूरी दी है कि 01.06.2018 के बाद से इरेडा को आरबीआई द्वारा परिपत्र 31.05.2018 में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। ऋण जोखिम छूट के संदर्भ में आरबीआई को एमएनआरई के माध्यम से पत्र संख्या 340-12 / 4/2018-इरेडा दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 में एक विशिष्ट प्रस्ताव भेजा गया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा, दिनांक: 26.11.2018)

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं 13 देखिये)

सिफारिश (क्रम सं. 14)

<u>स्टार्ट-अप/ छोटी परियोजनाओं का वित्तपोषण</u>

समिति यह देख कर निराश है कि इरेडा ने अभी तक स्टार्ट-अप के लिए वित्तपोषण शुरू नहीं किया है, जो उस उत्तर से स्पष्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अभी तक किसी भी स्टार्ट-अप ने ऋण लेने के लिए इरेडा से संपर्क नहीं किया है। समिति इरेडा से उन कारकों का विश्लेषण करना चाहेगी, जिनके कारण स्टार्ट-अप वित्तपोषण के लिए इरेडा से संपर्क नहीं करते हैं।

समिति ने आगे कहा कि पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में छोटी परियोजनाओं के लिए काफी संभावना है। छोटी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सकारात्मक और अनुकूल नीतियों द्वारा क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। समिति को अवगत कराया गया है कि इरेडा परियोजना ऋण को 50 लाख रुपये से कम और वित्त सौर परियोजना को 1 मेगावाट और उससे अधिक की कुल क्षमता के साथ और 1 मेगावाट से कम आकार की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करती है।

इस संबंध में समिति को वित्त वर्ष में हाइडल, सौर, पवन, जैव-द्रव्यमान आदि विभिन्न क्षेत्रों में लघु परियोजनाओं को दिए जाने वाले पोषण/ऋण के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

समिति का विचार है कि स्टार्ट-अप/छोटी परियोजनाएँ क्षेत्र में नवीनता लाती हैं और नवीकरणीय ऊर्जा उभरता हुआ क्षेत्र है, स्टार्ट-अप/छोटी परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में तत्काल अनुकूल नीतियां बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तपोषण के लिए सरल प्रक्रियाओं/औपचारिकताओं का होना की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब स्टार्ट-अप/छोटे उद्यमी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सनदी लेखाकारों /व्यवसायियों की सेवाएं नहीं लेते। इरेडा को आरई क्षेत्र के

लिए विशेष सरकारी वित्तपोषण एजेंसी होने के नाते, सक्रिय रूप से कार्य करने और स्टार्टअप/छोटे उद्यमियों तक पहुंचने की कोशिश करने की आवश्यकता है। आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना भी आवश्यक है।

सरकार का उत्तर

एमएनआरई ने जनवरी 2011 में सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), आईआईएम, अहमदाबाद के लिए स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा में उद्यमी विकास का समर्थन किया। इस परियोजना के अंतर्गत, 2011 में इस शर्त के साथ कुल 24 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था कि निजी क्षेत्र के निवेशकों से सीआईआईई द्वारा समान निवेश जुटाया जाएगा। परियोजना के लिए सीआईआईई, आईआईएम, अहमदाबाद को अब तक 22.47 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सीआईआईई, आईआईएम, अहमदाबाद ने परियोजना के लिए निजी निवेशकों से 25 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। इस परियोजना ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 40 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया है। इस परियोजना ने उद्यमी विकास पर उपयोगी अनुभव प्राप्त किया है।

हालाँकि, स्टार्ट-अप को आमतौर पर प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है जो उद्यम निधि द्वारा प्रदान की जाती है। इरेडा किसी भी नई परियोजना/उपक्रम में कथित जोखिमों को कम करने के बाद नई तकनीक, नई परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। मंत्रालय प्रौद्योगिकी निष्पादन परियोजना मोड के अंतर्गत नई तकनीक का वित्तपोषण करता है।

इरेडा द्वारा 5 मेगावाट तक की वित्तपोषित छोटी परियोजना का विगत चार वर्षों का क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक VII में संलग्न है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 340-16/1/2018- इरेडा , दिनांक: 26.11.2018)

अध्याय - पाँच

टिप्पणियां/ सिफारिशे जिनके संबंध मे सरकार ने अन्तरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

शून्य

नई दिल्ली;
07 जनवरी, 2021
17 पौष, 1942 (शक)

मीनाक्षी लेखी
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

LOAN AGREEMENT

DATED 30-05-2011

BETWEEN

M/s. SC1 India Limited

AS BORROWER

AND

INDIAN REN EWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED (IREDA)

AS LENDER

(Rupee Loan)

LOAN AGREEMENT

Borrower	M/s SCI India Limited
Details of Project	Setting up of 1.6 MW Biagas Power at Raipura, Rajoun, District Banka, in the State of Bihar (Project No. 1941)
Loan Amount	Rs850.00 Lakhs
Security	1. Mortgage of immovable properties
	2. Hypothecation of movable assets
	3. Personal Guarantee of i) Shri Sunil Kishorepuria ii) Shri Sajjan Kumar Kishorepuria iii) Shri Shiv Kumar Kishorepuria iv) Shri Binod Kumar Kishorepuria Promoters/Directors of the Borrower
	4. Bank Guarantee for an amount not less than 5% of the IREDA's loan amount having validity period till expiry of the repayment period of IREDA loan. The Bank Guarantee can initially be valid for a period of three years with a provision that on the expiry of initial period of three years, the guarantee unless invoked, will stand automatically renewed for a further period of three years.
	5. Pledge of shares 55% held/to be held by the promoters/promoter companies in the Borrower's share capital as security for the loan.
	6.ESCROW A/c to be provided on main revenue A/c in which receivables of distillery shall be credited through tripartite ESCROW Agreement between borrower, Bank and IREDA to the satisfaction of IREDA. Or The Borrower shall arrange a letter from the Bank agreeing for earmarking the working capital limits/cash credit limit or in the Bank in which receivables of distillery shall be credited to the extend of servicing IREDA loan repayment
	7. Collateral Security of the land held in t he name of Company/Directors values at about Rs. 6 crores as per valuation report by SBI Patna circle approved valuer.

Besides the above, the Borrower will deposit:

a) Post dated cheques towards payment of installments of principal of Loan

b) Post dated cheques towards payment of installments of interest on Loan

towards repayment of the loan.

Annexure-II

Status of the projects as observed by Audit

Annexure-IIS.No.	NAME OF THE BORROWER	SECTOR	REMARK
1	Shri Venkateshwara Sponge and	Energy Efficiency	The project was sanctioned in co-financing mode with Andhra Bank and part disbursement was made based on the physical progress of project.The project could not to down trend in the industry.The account became NPA recovery under SARFAESI Act were initiated and the plant in recovery of the entire outstanding principal, interest (compound), Liquidated Charged & Incidental Charges. No sacrifice in due amount was made. The
2	Mahita Power Projects P Ltd	SHP	The loan was sanctioned for setting up for Small Hydro Project and part disbursement was made.The project could not be implemented by promoter and therefore account stands closed in books of IREDA.
3	Athena Damwe	Hydro	The loan was sanctioned to borrower for setting up Limited is the lead financer among few other bankers/institutions. Howe in the project.
4	Bhadragiri	SHP	The part disbursement for the project has been made However,the project has witnessed delays in implementation causing increase in the cost. However, project remain under implementation category and under SARFAESI Act has been initiated.
5	Vaayu (India) Power	Wind	The disbursement has been made by IREDA. As on date,the outstanding amount is Rs. Nil.
6	Enbee Infrastrcture Ltd.	MSW	The loan was sanctioned to the borrower for setting up for waste to energy project made for initial work. However, the project was abandoned by the borrower therefore,the part amount Bank Guarantee by Rs.69.22 acs and adjusted against amount. The DRT proceeding are being initiated.

Annexure-III

S.No.	Name of the Project	Pro]. No.	Approval Date	Type	Cap.	Unit	Sector	Loan Amount (Rs. l.akhs)	Total OI5bursement (Rs.Lakhs) • As	LA Date	Commissioning Date	LA EXE SANCT
1	REWA ULTRA MEGA SOLAR LIMITED	2341	29-Jan-18	Main Loan			SOLAR GRID	2106200	404166	3Jan· 8		
2	JINDAL URBAN WASTE	2345	7-Feb-18	Main Loan	15	MW	WASTE TO ENERGY	11000.00				
3	MYTRAHVAYU (SABARMATI) PRATE	2344	7·Feb 8	Main Loan	252	MW	WIND	40000.00	5997.00	23·0ct 17		
4	NER IITRANSMISSION LIMITED	2342	7-Feb-18	Mam Loan			SOLAR GRID	3()100.00				
S	KHARI HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2119·1	Beb-18	Add1tion1l Loan	1.75	MW	HYDRO	625.30	412.77	7-Jun· B		
6	ASIAN FAB TEC LIMTED	2348	7 Mar· 8	Main lo.an	15 MW		SOLAR GRD	685.00	5000.00	26 Mar·18	29-Dec·I7	
7	ASIAN FAS TEC LIMTED	2349	7·Mar8	Main Loan	10 MW		SOIAR GRID	4350.00	3300.00	26-MUB	2· •n· 8	
8	ASIAN FAB TEC LIMITED	2350	7•Mar-18	Main Lo.an	20	MW	SOLAR GRID	8545.00		26-Mar-18	6-Jan-18	
9	ATRA WIND POWER (BASAVANA	2351	7·Mar· 8	Mam Loan	396	M\Vp	WIND	21500.00	48II.OO	2I May18	18·Apr· 8	
10	8AITARA NIPOWER PROJECT	2 145-2	7 Mar· 8	Add1t1on1l Loan			HYDRO	1820.00				
11	SHANAY RENEWABLES LIMITED	2346	7 Mar-18	Main Loan	316	MW	WND	15715.00	9770.00	26Mar· 8	3I Mar8	
12	VENTO POWER PRIVATE LIMTED	2347	7·Mar·l8	Main Loan	40	MW	SOLAR GRID	15755.00	13708.00	10-May-18		
13	VENTO POWtR PRIVATE LIMITED	2347-VGF	7 Mar· 8	VGF			50IAR GRD	1485.00	1292.00	O·May· B		
14	FERMI SOI.ARFARM5 PRIVATE LIMTED	2357	26Mar-18	Main n	80	MW	501.ARGRIO	19000.00	1199158	25·Jun-18	14-Apr-18	
15	GREE'NFRA RENEWABLE ENERGY	2355	26-Mar-18	Mam Loan	249.9	MWp	WIND	30000.00				
16	POCHAMPAO CONSTRUCTIONS	2352	26·Mar-18	Main Loan	4 5	MW	50LAR GRID	375.00		17-May-18	31 Mar17	
17	SOLARSYS NON-CONVENTDNAL	2358	26-Mar B	Mam loin	90 MW		SOLAR GRID	8200.00			31-Mar-18	
IS	\\'ATSUN NFRABUILD PRIVATE	2361	26-Mar-18	Main Loan	150	MW	WIND	30000.00				
19	AVAADA NON-CONVE'\ITIONAL	2359	27·Mar-l8	Maio Loan	30 MW		SOLAR GRD	6000.00			26-Mar-18	
20	AVAA DA sus-AIJASLE ENERGY	2>50	27-Mar-18	Mam Loan	30 MW		SOLAR GRD	6000.00			2·Mar· 8	
21	ECORE'1 CARDEA PO\'.ER PRIVATE	2354	27·Mar-18	Moun Loan	10 MW		SOLAR GRID	4845.00				
22	ECORE iVENT \'J'.IOS PRIVATE	2356	27-rviar-18	Mi11n loan	16 MW		50LAR GRD	7730.00				
23	GREE'.A'. ENERGY PR'VATE	2353	27Mar 18	Mam Loan	22 MW		SOLAR GRID	8200.00				
24	NANTI HYDRO POWER PRIVATE	1980-3	27 Mar-18	Additional Loan			HYDRO	1753.70	974.50	25·Apr· 8		
25	TAIUV DA HYDRO PO\" ER PRIVATE	1979-4	27-Mar-18	Additional Loan			HYDRO	1823.00		25-Apr· S		
								313369.00	61298.51			1

Annexure-IV

N. i 6/1/94-CPG

Dated_____

The Managing Director
Indian Renewable Energy Dvt. Agency (IREDA)
India Habitat Centre
East Court, Core-4 A i floor
Lodhi Road
New Delhi-110003

M/s HCL Agro Power Ltd. - Financial Assistance for setting up a 6.75 MW Dendro Thermal Power Plant at Vedadri, Village, Jaggaiah pet Mandal Krishna District, A.P. (Project No. 340)

Sir,

Please refer to your letter no. PTS-810/IREDA/2004-05/6197 dated 1.11.04 on the above project, I am directed to inform you that the project has validated the terms and conditions of the sanction for grant of capital

Thanking you,

Yours faithfully,

(R. D. Sharma)
Principal Scientific Officer

1110/REDA/2004-05 Dated, the 11th August 2004

M.L. Garg
Non-Conventional Energy Sources
No. 14, C.G.O. Complex,
New Delhi-110003

M/s HCL Agro Power Ltd. - Financial Assistance for setting up a 6.75 MW Dendro Thermal Power Plant at Vedadri, Village, Jaggaiah pet Mandal Krishna District, A.P. (Project No. 340)

Please refer to para 2 of our letter no. IREDA/Legal/2004/380i dated

You are aware that IREDA has recalled its loan amount of Rs. 399.00 lacs of bridge loan of Rs. 41.00 lacs against 10% of MNES Capital Subsidy of lacs for the said project.

regards to MNES capital subsidy, the same can be recalled after cancellation.

Subsidy by MNES and/or in case the Borrower Company defaults in the of conditions of sanction of subsidy by MNES. In this connection, reference the Subsidy Agreement dated 4th April 1996 entered into between the

In terms of special condition no. 1 on page 19 of the said Subsidy Agreement have the right to cancel the subsidy in case there is deviation in DPR which

I Acceptable to MNES and in the eventuality the whole of the disbursed subsidy that have to be returned/refunded by the Company to MNES together with interest thereon within 60 days from the date of cancellation of subsidy.

Hence, the security offered by the Company for the MNES is common for the loan by IREDA to the Company, it shall be appropriate the amount of subsidy in should also be from the Company and thereafter suitable proceedings by way of O A could be initiated. You are also aware that IDBI, has already filed Recovery Proceedings against the Company for Recovery of

In view of the above, MNES is requested to please take a final view for the subsidy and enable us to proceed in the matter accordingly.

Thanking You,

ASST. GENERAL MANAGER

Yours faithfully,

(S BASKARAN)
R (PTS)

o

Annexure V

Details of small er project u pto 5 MW sectorwise and yearwise

Name of the Project	Proi.No.	Sanction Date	Type	Cap.	Unit	Sector	Loan (Rs.Lakhs)
SHAKTI HYDRO ELECTRIC CO. PVT.LTD.	2088	19-Jun-14	Main Loan	2.4	MW	HYDRO	762
GREEN INFRA WIND POWER GENERATION LIMITED	2058-1	12-Sep-14	Additional Loan	4	MW	WIND	1800
NEXTGEN SOLUX POWER PRIVATE LIMITED	2103	22-Sep-14	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	500
TARANDA HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	1979-1	24-Sep-14	Additional oan	1	MW	HYDRO	1538
ABUNDANT ENERGY PRIVATE LIMITED	2106	1-Oct-14	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	995
ALLIANZ ECOPOWER PRIVATE LIMITED	2105	1-Oct-14	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	1000
TR ENERGY & AGRO PRIVATE LIMITED	2107	20-Oct-14	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	995
SAi ACHYUTH ENERGY PRIVATE LIMITED	2120	4-Feb-15	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2450
KHARI HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2119	5-Feb-15	Main Loan	2	MW	HYDRO	1500
SRI KPR INDUSTRIES LIMITED	2126	9-Mar-15	Main Loan	2	MW	WIND	1038
SRI VIJAYEEBHAVA ENTERPRISES PVT LTD	2125	9-Mar-15	Main Loan	2.95	MW	WIND	1375
CAMBRIDGE ENERGY RESOURCES (P) LTD.	2128	11-Mar-15	Main Loan	4.23	MWp	SOLAR ROOFTOP	4068
BALAJI ENERGY PVT. LTD.	2127	16-Mar-15	Main Loan	3	MW	HYDRO	1138
RAYS POWER INFRA PRIVATE LIMITED	2132	16-Mar-15	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	900
ATLANTIC POWER PRIVATE LIMITED	2135	23-Mar-15	Main Loan	0.65	MW	HYDRO	501
SLS POWER LIMITED	2143	30-Apr-15	Main Loan	0.01	MW	BIOMASS	850
SSJ POWER PROJECTS & INFRASTRUCTURES PVT. LTD.	2144	21-May-15	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2466.46
AZURE POWER MARS PRIVATE LIMITED	2149	22-Mav-15	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2566.25
EMMA ESTATE PVT. LTD.	2155	5-Aug-15	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID	1550
PURSHOTAM INDUSTRIES LIMITED	2156	5-Aug-15	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID	1624
RAVINDRA ENERGY LIMITED	2161	11-Aug-15	Main Loan	3.77	MW	SOLAR OFF GRID	2709
DARTVENS POWER PRIVATE LIMITED	2162	18-Sep- S	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	450
VAAYU ENERGY LIMITED	2169	30-Sep-15	Main Loan	3	MW	WIND	10000
TARANDA HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	1979-2	13-Oct-15	Additional Loan	3	MW	HYDRO	1262
MAGNIFICIENT POWER PRIVATE LIMITED	2172	5-Nov-15	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	463
ABUNDANT ENERGY PRIVATE LIMITED	2173	6-Nov-15	Main oan	1	MW	SOLAR GRID	483.2
NEXTGEN SOLUX POWER PRIVATE LIMITED	2174	6-Nov-15	Main oan	1	MW	SOLAR GRID	463
KESTAHYDRO POWER PVT .LTD.	2178	18-Nov-15	Main Loan	4.5	MW	HYDRO	2350
KUSUM FINSERVE LLP	2198	11-Feb-16	Main Loan	2.1	MW	WIND	1035
PHOTON SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	2202	7-Mar-16	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	1640
UTRECHT SOLAR PRIVATE LIMITED	2200	8-Mar-16	Main oan	1	MW	SOLAR GRID	465
DLI POWER (INDIA) PVT.LTD.	1951-1	9-Mar-16	Additional Loan	4	MW	HYDRO	1560
HIMALAYAN RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED	2210	31-Mar-16	Main oan	0.6	MW	HYDRO	560
PURSHOTAM INDUSTRIES LIMITED	2216	27-Apr-16	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	925
VENSOL (BIDAR) ENERGY PRIVATE LIMITED	2236	4-Aug-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID 1	1596
VENSOL (NIRNA) ENERGY PRIVATE LIMITED	2237	4-Aug-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID 1	1596
VINSOL(HUBLII ENERGY PRIVATE LIMITED	2230	4-Aug-16	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID 1	1064
HARIKRISHNAN POWER AND TECHNOLOGY PRIVATE LI	2240	30-Aug-16	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID 1	355
ARETE ELENA ENERGY PRIVATE LIMITED	2241	6-Sep-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID 1	1411
BGSUN SOLAR HIRIYUR PRIVATE LIMITED	2242	6-Sep-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID I	1420
CONTINENTAL HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	2243	6-Sep-16	Main Loan	3	MW	HYDRO	1800
POORVAJ SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED	2244	6-Sep-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID 1	1422.72
SAMYAMAJYOTHI SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED	2245	6-Sep-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID 1	1411.15
SUNSOLAR KFP BELLARI PRIVATE LIMITED	2248	28-Sep-16	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID 1	951.76
EMMVEE SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED	2249	10-Oct-16	Main Loan	1	MW	SOLAR ROOFTOP	485
NANDAL FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	2250	13-Oct-16	Main Loan	1	MW	SOLAR ROOFTOP	462
PREMIER PHOTOVOLTAIC MEDAK PRIVATE LIMITED	2251	25-Oct-16	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID 1	1371
BELIJ HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	2254	26-Oct-16	Main Loan	5	MW	HYDRO	2428
LUi RENEWABLE PRIVATE LIMITED	2268	17-Jan-17	Main Loan	0.3	MW	SOLAR THERMAL	110
VIVAAN SOLAR PRIVATE LIMITED	2277	21-Feb-17	Main Loan	5	MW	SOLAR ROOFTOP	2250
AGV SOLAR POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2284	23-Feb-17	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID 1	1010
CLEAN MAX ENVIRO ENERGY SOLUTIONS PVT LTD	2299	23-May-17	Main Loan	2.48	MW	SOLAR ROOFTOP	888.2
SAMBHAR SALTS LIMITED	2298	23-May-17	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	500
MADHAV SOLAR (VADODARA ROOFTOP) PRIVATE LIMI	2303	1-Jun-17	Main Loan	4	MW	SOLAR ROOFTOP	1675

AZURE POWER MERCURY PRIVATE LIMITED	2314	3-Aug-17	Main Loan	4 MW	SOLAR ROOFTOP	1750
PREMIER SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED	2321	4-Sep-17	Main Loan	1 MW	SOLAR ROOFTOP	420.62
ATLANTIC POWER PRIVATE LIMITED	2328	13-Nov-17	Main oan	0.3 MW	HYDRO	320
SUNRUN SOLAR VENTURES UP PRIVATE LIMITED	2335	23-Nov-17	Main Loan	1 MW	SOLAR ROOFTOP	259
SE FREIGHT AND LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	2338			4.2 MW	WIND	1750
VIVAAN SOLAR PRIVATE LIMITED	2340	2	Main Loan	2 MW	SOLAR ROOFTOP	950
KHARI HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2119-1	19-Feb-18	Additional Loan	3.75 MW	HYDRO	625.3
POCHAMPAD CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LI	2352	27-Mar-18	Main Loan	4.5 MW	SOLAR GRID	975
					TOTAL	85238.66

Annexure VI

LIST OF PROJECTS UPTO 10 MW SECTOR WISE AND YEAR WISE FOR LAST 4 YEARS

Name of the Pro/ect	Prof. No.	Sanction Date	Type	Cap.	Unit	Sector	Loan (Rs. Lakhs)
KAMDAR INFRASTRUCTURE PVT.LTO.	2051	2 Au11 13	Main Loan	4	MW	HYDRO	1750
PHOTON SOLAR POWER PVT LTD	2063	s. Feb14	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2S00
SRI AVANTIKA CONTRACTORS (IILIMITED	2062	5-feb4	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2500
SAROJ ENERGY COMPANY PVT. LTD.	1877	6-Feb14	Additional Loan	1.5	MW	HYDRO	350
SASI POWER PRIVATE LIMITED	2073	18 Mar-14	Main Loan	3	MW	HYDRO	1456.55
M/S GILL POWER GENERATION CO (P) LTD	1397-1	19 Mar-14	Additional Loan	1.5	MW	HYDRO	600
PREMIER PHOTOVOLATAIC MEDAK PRIVATE LIMITED	2083	31 Mar 14	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2500
RENEW POWER VENTURES PRIVATE LIMITED	2080	3Mar-14	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	4644
RENEW POWER VENTURES PRIVATE LIMITED	2082	31 Mar-14	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	4460
RENEW POWER VENTURES PRIVATE LIMITED	2085	31 Mar-14	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	4794
RENEW POWER VENTURES PRIVATE LIMITED	2087	31 Mar 14	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	4794
SHAI<TI HYDRO ELECTRIC CO. PVT. TD.	2088	19-Jun-14	Main Loan	2.4	MW	HYDRO	762
GREEN INFRA WINO POWER GENERATION LIMITED	20S8-1	12-Sed4	Additional Loan	4	MW	WIND	1800
NEXTGEN SOLUX POWER PRIVATE LIMITED	2103	22-Sep-14	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	500
RDA ENERGY PRIVATE LIMITED	2102	22 Seo-14	Main Loan	10	MW	SOLAR GRID	S4S6.4
RISHABH RENERGY PRIVATE LIMITED	2101	22-Sep-14	Main Loan	10	MW	SOLAR GRID	S480
SAMRUDHI SUGARS LIMITED	2104	23-Sep-14	Main Loan	10	MW	CO-GENERATION	2688
TARANDA HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	1979-1	24-Sep-14	Additional Loan	1	MW	HYDRO	1538
ABUNDANT ENERGY PRIVATE LIMITED	2106	lOct-14	Main oan	2	MW	SOLAR GRID	995
ALLIANZ ECOPOWER PRIVATE LIMITED	2105	Oct-14	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	1000
TR ENERGY & AGRO PRIVATE LIMITED	2107	20-Oct-14	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	99S
BA(J(BONE ENTERPRISES LIMITED	2109	22-Oct-14	Main loan	10	MW	SOLAR GRID	490309
	2111	22-Oct-14	Main Loan	10	MW	SOLAR GRID	4867
SAiACHYUTH ENERGY PRIVATE LIMITED	2120	4-Feb 15	Main oan	S	MW	SOLAR GRID	2450
KHARI HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2119	5-Feb 1S	Main Loan	2	MW	HYDRO	1500
RENEW WIND ENERGY (RAJASTHAN ONE) PRIVATE LIM	2090-1	S Mar-15	Additional Loan	10	MW	WIND	4681
KHANDALERU POWER COMPANY LIMITED	2123	9 Mar 15	Main oan	6	MW	HYDRO	2200
SRII<PR INDUSTRIES LIMITED	2126	9-Mar- S	Main Loan	2	MW	WIND	1038
SRI VIJAYEEBHAVA ENTERPRI		Mar-15	Main oan	2.9S	MW	WINO	1375
CAMBRIDGE ENERGY RESOURCES (P) LTD.	2128	Mar- S	Main Loan	4.23	MWp	SOLAR ROOF TOP	4068
BALAJI ENERGY PVT. TD.	2127	16 Mar 15	Main Loan	3	MW	HYDRO	1138
BALAJI ENERGY PVT.LTD.	2131	16-Mar-15	Main Loan	8	MW	HYDRO	3300
RAYS POWER INFRA PRIVATE LIMITED	2132	16 Mar-15	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	900
ATIANTIC POWER PVT.LTD.	2135	28Mar 15	Main Loan	0.6S	MW	HYDRO	S01
BHILWARA ENERGY LIMITED	2140	31 Mar-15	Main oan	7.5	MW	HYDRO	5850
ENERGO ENGINEERING PROJECTS LIMITED	2142	31-Mar-15	Main Loan	10	MW	SOLAR GRID	5393
SIS POWER LIMITED	2143	30-Apr-15	Main Loan	0.01	MW	BIOMASS	8S0
SSJ POWER PROJECTS & INFRASTRUCTURES PVT. LTD.	2144	21Mav-1S	Main Loan	5	MW	SOLAR GRID	2466.46
AZURE POWER MARS PRIVATE LIMITED	2149	22-Mav-15	Main oan	5	MW	SOLAR GRID	256625
EAAMA ESTATE PVT.LTD.	2155	5-Aug-15	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID	15SO
PURSHOTAM INDUSTRIES LIMITED	21S6	S Aug-15	Main Loan	3	MW	SOLAR GRID	1624
SSNR POWER PRIVATE LIMITED	2157	6-Au11 15	Main oan	10	MW	SOLAR GRID	S215
RAVINDRA ENERGY LIMITED	2161	I Aug5	Main Loan	3.77	MW	SOLAR OFF GRID	2709
DARTYENS POWER PRIVATE LIMITED	2162	185ep-15	Main oan	1	MW	SOLAR GRID	450
VAAYU ENERGY LIMITED	2169	30 Seo-15	Main Loan	3	MW	WIND	10000
MINAR RENEWABLE ENERGY PROJECTS PRIVATE LIMIT	2171	13 0ct-15	Main Loan	8	MW	HYDRO	3600
TARANDA HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	1979-2	13-Oct-1S	Additional oan	3	MW	HYDRO	1262
MAGNIFICIENT POWER PRIVATE LIMITED	2172	5-Nov- S	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	463
ABUNDANT ENERGY PRIVATE LIMITED	2173	6-Nov-15	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	483.2
CBC SOLAR TECHNOLOGIES PVT.LTD.	2175	6-Nov-15	Main Loan	10	MW	SOLAR GRID	833
NEXTGEN SOLUX POWER PRIVATE LIMITED	2174	6Nov-15	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	463
I<ESTA HYDRO POWER PVT.LTD.	2178	18Nov 15	Main Loan	4.5	MW	HYDRO	2350
PREMIER PHOTOVOLTAIC MEDAK PRIVATE LIMITED	2185	18 NOV-5	Main Loan	8	MW	SOLAR GRID	4032
CBC SOLAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	2187	14-Dec-15	Main Loan	10	MW	SOLAR GRID	7192.31
I<USUM FINSERVE P	2198	I-Feb-16	Main oan	2.1	MW	WINO	103S
PHOTON SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	2202	7 Mar-16	Main oan	S	MW	SOLAR GRID	1640
MAHESWARI MINING AND ENERGY PRIVATE LIMITED	2201	8 Mar-16	Main oan	10	MW	SOLAR GRID	471S
UTRECHT SOLAR PRIVATE LIMITED	2200	8-Mar-16	Main Loan	1	MW	SOLAR GRID	465
DU POWER (INDIA) PVT.LTD.	19SH	9-Mar-16	AdditionalLoan	4	MW	HYDRO	1S60
NEW ERA ENVIRO VENTURES (MAHBUBNAGARJ PRIVA	2203	9-Mar 16	Main Loan	10	MW	SOLAR GRD	4744
HIMALAYAN RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED	2210	31 Mar 16	Main Loan	0.6	MW	HYDRO	S60
PURSHOTAM INDUSTRIES LIMITED	2216	27-Apr-16	Main Loan	2	MW	SOLAR GRID	92S
KAKATIYA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	2220	31May-16	Main Loan	9	MW	HYDRO	4060

ASIAN fAB TEC LIMITED	2222	2 Jun 16	Main Loan	10 MW	SOLAR GRID	4422.8
ASIAN FABTEC LIMITED	2223	2 Jun 16	Main Loan	8 MW	SOLAR GRID	3637.4
AZURE RENEWABLEENERGY PRIVATE LIMITED	2226	22-Jun-16	Main Loan	10 MW	SOLAR ROOF TOP	4495.07
VENSOL (BIDAR) ENERGY PRIVATE LIMITED	2236	4-AU& 16	Main oan	3 MW	SOLAR GRID 1	1S96
VENSOL (NIRNA) ENERGY PRIVATE LIMITED	2237	4-Aug6	Main Loan	3 MW	SOLAR GRID 1	1S96

HARIKRISHNAN POWER AND TECHNOLOGY PRIVATE LI	2240	30-Aug-16	Main Loan	1 MW	SOLAR GRID 1	355
ARETE ELENA ENERGY PRIVATE LIMITED	2241	6-Sep-16	Main Loan	3 MW	SOLAR GRID 1	1411
BG SUN SOLAR HIRIYUR PRIVATE LIMITED	2242	6-Sep-16	Main Loan	3 MW	SOLAR GRID 1	1420
CONTINENTAL HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	2243	6-Sep-16	Main Loan	3 MW	HYDRO	1800
POORVAJ SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED	2244	6-Sep-16	Main Loan	3 MW	SOLAR GRID 1	1422.72
SAMYAMA JYOTHI SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED	2245	6-Sep-16	Main Loan	3 MW	SOLAR GRID 1	1411.15
SUN SOLAR KFP BELLARI PRIVATE LIMITED	2248	28-Sep-16	Main Loan	2 MW	SOLAR GRID 1	951.76
EMMVEE SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED	2249	10-Oct-16	Main Loan	1 MW	SOLAR ROOF TOP	485
NANDAL FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	2250	13-Oct-16	Main Loan	1 MW	SOLAR ROOF TOP	462
PREMIER PHOTOVOLTAIC MEDAK PRIVATE LIMITED	2251	25-Oct-16	Main Loan	3 MW	SOLAR GRID 1	1371
BELIJ HYDRO POWER PRIVATE LIMITED	2254	26-Oct-16	Main Loan	5 MW	HYDRO	2428
AAIOK SOLAR FARMS LIMITED	2266	10-Jan-17	Main oan	10 MW	SOLAR GRID	5545
ABHA SOLARFARMS LIMITED	2267	10-Jan-17	Main Loan	10 MW	SOLAR GRID	5545
LUT RENEWABLE PRIVATE LIMITED	2268	17-Jan-17	Main Loan	0.3 MW	SOLAR THERMAL	110
ES ENERGY PRIVATE LIMITED	2275	20-Feb-17	Main Loan	10 MW	SOLAR GRID	5325
ES SOLAR PRIVATE LIMITED	2274	20-Feb-17	Main oan	10 MW	SOLAR GRID	5475
VIVAAN SOLAR PRIVATE LIMITED	2277	21-Feb-17	Main Loan	5 MW	SOLAR ROOF TOP	2250
AGV SOLAR POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2284	23-Feb-17	Main Loan	2 MW	SOLAR GRID 1	1010
CLEAN MAX ENVIRO ENERGY SOLUTIONS PVT LTD	2299	23-May-17	Main Loan	2.48 MW	SOLAR ROOF TOP	888.2
SAMBHAR SALTS LIMITED	2298	23-May-17	Main Loan	1 MW	SOLAR GRID	500
KANDI WIND PARKS PRIVATE LIMITED	2300	31-Mav-17	Main Loan	8 MW	WIND	5000
MADHAV SOLAR (VADODARA ROOFTOP) PRIVATE LIMI	2303	1Jun-17	Main Loan	4 MW	SOLAR ROOF TOP	1675
AZURE POWER MERCURY PRIVATE LIMITED	2314	3-Aug-17	Main Loan	4 MW	SOLAR ROOF TOP	1750
JK PETRO ENERGY PRIVATE LIMITED	2312	3-Aug-17	Main Loan	10 MW	SOLAR GRID	3986.5
PREMIER SOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED	2321	4-Sep-17	Main Loan	1 MW	SOLAR ROOF TOP	420.62
ATLANTIC POWER PRIVATE LIMITED	2328	13-Nov-17	Main Loan	0.3 MW	HYDRO	320
SUN RUN SOLAR VENTURES UP PRIVATE LIMITED	2335	23-Nov-17	Main Loan	1 MW	SOLAR ROOF TOP	259
SE FREIGHT ANO LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	2338	20-Dec-17	Main Loan	4.2 MW	WIND	1750
VIVAAN SOLAR PRIVATE LIMITED	2340	22-Dec-17	Main Loan	2 MW	SOLAR ROOF TOP	950
KHARI HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED	2119-1	19-Feb-18	Additional oan	3.75 MW	HYDRO	625.3
ASIAN FAB TEC LIMITED	2349	14-Mar-18	Main Loan	10 MW	SOLAR GRID	4350
POCHAMPAD CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LI	2352	27-Mar-18	Main Loan	4.5 MW	SOLAR GRID	975
ECOREN CARDEA POWER PRIVATE LIMITED	2354	28-Mar-18	Main Loan	10 MW	SOLAR GRID	4845

ANNEXURE VII

Status of RTS capacity (MW) sanctioned and achievements

Sr. No.	Agency/State	Sanctioned Capacity (Revised)	Installed Capacity reported on online portal		
			Subsidised Category	Non-subsidised Category	Total
1.	NREDCAP, Andhra Pradesh	67.77	29.97	16.61	46.58
2.	BREDA, Bihar	50.21	1.35	1.26	2.61
3.	CREDA, Chhattisgarh	13.70	8.44	1.55	9.99
4.	JREDA, Jharkhand	35.57	7.68	1.62	9.30
5.	MPMKVVCL, MPUVN, Madhya Pradesh	37.02	13.96	13.30	27.26
6.	MEDA, Maharashtra	140.00	29.77	115.76	145.53
7.	OREDA, Odisha	4.03	2.70	1.65	4.35
8.	TSREDCO, Telangana	53.11	23.23	22.30	45.53
9.	UPNEDA, Uttar Pradesh	42.00	14.34	40.40	54.74
10.	WBREDA, West Bengal	48.93	6.63	11.90	18.53
11.	AEDA, APDCL, Assam	24.00	2.25	1.68	3.93
12.	Dept. of Power, Delhi	90.00	34.36	12.00	46.36
13.	GEDA, Gujarat	232.75	75.46	66.49	141.95
14.	HAREDA, Haryana	44.50	30.35	53.97	84.32
15.	JAKEDA, KREDA,	66.09	2.43	0.57	3.00

	Jammu Kashmir				
16.	ANERT, Kerala	38.28	13.50	17.36	30.86
17.	KREDL, Karnataka	10.94	6.07	105.88	111.95
18.	REAP, Puduchery	7.02	0.70	1.00	1.70
19.	PEDA, Punjab	20.68	13.75	37.61	51.36
20.	RRECL, Rajasthan	40.00	24.39	55.35	79.74
21.	TEDA, Tamil Nadu	44.50	31.14	94.20	125.34
22.	UREDA, Uttarakhand	46.77	18.28	45.12	63.40
23.	CREST, Chandigarh	28.35	19.00	5.22	24.22
24.	HIMURJA, Himachal Pradesh	15.25	1.67	2.22	3.89
25.	MANIREDA, Manipur	3.22	1.90	1.33	3.23
26.	Elect. Dept., Andaman & Nicobar	3.00	1.00	0.00	1.00
27.	Elect. Dept. Lakshadweep	1.00	0.00	0.00	0.00
28.	TREDA, Tripura	0.50	0.00	0.00	0.00
29.	APEDA, Arunachal Pradesh	10.00	0.00	4.12	4.12
30.	ZEDA, Electricity Department, Mizoram	3.86	0.00	0.10	0.10
31.	GEDA, Goa	1.00	0.00	0.51	0.51
32.	Dadra and Nagar Haveli	0.00	0.00	0.48	0.48
33.	Daman and Diu	0.00	0.00	0.39	0.39
34.	Meghalaya	0.00	0.00	0.08	0.08

35.	Nagaland	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Sikkim	0.00	0.00	0.01	0.01
37.	Other Agencies*	804.92			
	Total	2028.95	414.32	732.04	1146.36

* Achievements of other agencies included in the capacity of respective States/UTs

परिशिष्ट- एक

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

(2020-2021)

समिति के सातवीं सीटिंग के मिनट

समिति गुरुवार, 7 जनवरी, 2021 को 1210 बजे से 1310 बजे तक समिति रूम '3', ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन (नई बिल्डिंग), नई दिल्ली में बैठी

वर्तमान

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - अध्यक्षा

सदस्य

लोकसभा

1	श्री अर्जुनलाल मीणा
2	श्री जनार्दन मिश्र
3	प्रोफ. सौगात रॉय
4	डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
5	श्री सुशील कुमार सिंह
6	श्री उदय प्रताप सिंह
7	श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स

राज्यसभा

8	श्री प्रसन्न आचार्य
9	श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्या
10	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

सचिवालय

1.	श्री आर .सी. तिवारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री श्रीनिवासालु गुंडा	-	निदेशक
3.	श्री जी .सी. प्रसाद	-	अतिरिक्त निदेशक

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रतिनिधि

1.	*****	-	*****
2.	*****	-	*****
3.	*****	-	*****
4.	*****	-	*****
5.	*****	-	*****
6.	*****	-	*****

2. शुरुआत में, माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के एजेंडे से अवगत कराया। पहले एजेंडा आइटम के रूप में, अध्यक्ष ने निम्नलिखित विषयों पर मसौदा रिपोर्टों पर विचार और अपनाने के लिए प्रस्ताव दिया: -

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

(ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

(iii) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

(iv) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

(v) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

vi) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा "नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण" पर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की बीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई(निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर) 2015 की No.12)"।

(vii) सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई "नुकसान की समीक्षा करने वाले सीपीएसयू की समीक्षा"।

3. समिति ने तब उपरोक्त मसौदा रिपोर्टों पर विचार किया और इसे बिना किसी बदलाव / संशोधनों के अपनाया। तत्पश्चात समिति ने संबंधित मंत्रालय / विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया और संसद के सत्र में नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करने पर विचार किया।

(एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया)

4. **** **** ****

5. **** **** ****

6. **** **** ****

7. **** **** ****

समिति ने फिर स्थगित कर दिया।

(कार्यवाही का एक रिकॉर्ड अलग से रखा गया है)।

/----------/

परिशिष्ट- दो

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (वर्ष 2015 के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 पर आधारित) विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(एक) सिफारिशों की कुल संख्या	**16**
(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क्रम सं0 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15 और 16)	14
प्रतिशत:	87.5%
(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	शून्य
प्रतिशत:	शून्य
(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है (क्रम सं. 8 और 14)	02
प्रतिशत:	12.5%
(**पाँच**) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं	शून्य
प्रतिशत:	शून्य